केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–429)

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों का मूल्यांकन अध्ययन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	i - vi
प्रथम	अध्ययन संरचना	1 – 4
द्वितीय	प्रगति की समीक्षा	5 – 6
तृतीय	सर्वेक्षण का परिणाम	7 – 34
चतुर्थ	निष्कर्ष एवं सुझाव	35 – 37
	परिशिष्ट–1	38

*****

उद्‌बोधन

विज्ञान के क्षेत्र में दिन–प्रतिदिन के नवीन आविष्कारों ने विकास की सम्भावनाओं के असंख्य द्वार खोल दिये हैं। नवीन तकनीकी इजादों से कार्य की गति, कार्य में लगने वाले समय एवं कुशलता में अप्रत्याशित परिवर्तन हो गया है। कम्प्यूटर बीसवीं सदी की एक महानतम उपलब्धि है जिसके उपयोग ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुविधाओं का नवीन संसार सृजित कर दिया है। शिक्षा, चिकित्सा, संचार एवं रोजगार किसी भी क्षेत्र में बिना कम्प्यूटर कोई भी कार्य अकल्पनीय लगता है। ऐसे में समाज के पिछड़े, अपेक्षाकृत अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को भी सक्षम एवं स्वावलम्बी बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकी ज्ञान से पोषित करने के उद्‌देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2001–02 से अनुसूचित जाति, जनजाति के अल्प आय वर्ग के परिवारों के छात्रों हेतु निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

योजना के तहत मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा उनके केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पात्र छात्रों को 7 से 12 माह एवं 19 से 24 माह तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन केन्द्रों पर पात्र छात्रों को न केवल निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है अपितु अनुरक्षण भत्ते की राशि भी छात्रों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करवायी जाती है। प्राप्त प्रशिक्षण की उपयोगिता, प्रशिक्षण केन्द्रों की वैधता, केन्द्रों पर उपलब्ध संसाधन आदि का आंकलन करने हेतु उक्त कार्यक्रम का मूल्यांकन, मूल्यांकन विभाग द्वारा करवाया गया।

अध्ययन के निष्कर्षों से परिलक्षित होता है कि पात्र छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया एवं प्रशिक्षण रोजगार प्राप्ति में उपयोगी सिद्ध हुआ है। तथापि सर्वेक्षण में नियमित जॉब के अवसरों की कमी, छात्रवृत्ति की राशि कम होना, समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलना आदि कठिनाइयाँ भी बतायी गयी। प्रतिवेदन में योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु प्रासंगिक सुझाव दिये हैं, जो कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि– जनवरी, 2009
स्थान– जयपुर

(यदुवेन्द्र माथुर)
शासन सचिव, आयोजना

आमुख

भारत के विभिन्न राज्यों में प्राचीन परम्पराओं, भौगोलिक विषमताओं एवं विशाल जनसंख्या के कारण जहाँ एक ओर आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में भारी भिन्नता विद्यमान है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं व रोजगार के अवसरों में भी अत्यधिक अन्तर है। फलतः कई राज्यों की लगभग एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है, जिनके लिए सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण अपने बच्चों की उच्च शिक्षा ही नहीं अपितु प्रारम्भिक शिक्षण की व्यवस्था करना भी कठिन होता है।

राजस्थान प्रदेश विकास की दृष्टि से पिछड़ा राज्य है एवं यहाँ के अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत रूप से कमजोर है। इन परिवारों की युवा पीढ़ी को बदलते समय की अपेक्षाओं के अनुरूप सक्षम बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001–02 से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ की गयी, जिससे इन युवाओं को अधिकाधिक स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। योजनान्तर्गत उच्च माध्यमिक, स्नातक/स्नात्तकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अल्प आय वर्ग के परिवारों के छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के प्रावधान किये गये।

योजनान्तर्गत प्रशिक्षित छात्रों के प्रशिक्षण का स्तर, प्रशिक्षणोपरान्त प्राप्त रोजगार, कम्प्यूटर केन्दों पर उपलब्ध सुविधाओं के आंकलन के साथ ही कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु प्रासंगिक मार्गदर्शन की अपेक्षा से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुरोध एवं सचिव, आयोजना के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया। प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष चार जिलों के 20 प्रशिक्षण केन्द्रों के सर्वे पर आधारित है। अध्ययन के निष्कर्षों से परिलक्षित होता है कि योजना छात्रों के ज्ञान अर्जन एवं रोजगार प्राप्ति में उपयोगी सिद्ध हुई है। प्रस्तुत अध्ययन में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यथास्थान सारगर्भित सुझाव दिये गये है।

मैं आशा करती हूँ कि प्रतिवेदन में दिए गए सुझावों का क्रियान्वयन कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

तिथि : जनवरी,2009
स्थान : जयपुर

(मधु पोखरना)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों का मूल्यांकन अध्ययन

निष्पादक संक्षेप

I. राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करने हेतु वर्ष 1951–52 में पिछड़ी जाति कल्याण विभाग की स्थापना की गयी तदुपरान्त वर्ष 1955–56 से इस विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग एवं वर्ष 2006–07 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग रखा गया। इस विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के साथ–साथ समाज के अत्यधिक गरीब, अल्प संख्यक, निःशक्तजन, वृद्ध, विमुक्त एवं घुमन्तू और अन्य पिछड़ा वर्ग के भी आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास की अनेक योजनाएँ संचालित की जाती रही है।

II. **योजना का स्वरूप** :

भारत सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जाती है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान निजी कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों ने विभिन्न विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कर इस वर्ग (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के रूप में करोड़ों रूपयों का भुगतान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त किया है। इस योजना के तहत जिन विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रूपये तक है, इस योजना में छात्रवृत्ति (फीस एवं अनुरक्षण भत्ता) प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। विभाग से इन निजी कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों ने इस आश्वासन के तहत फीस एवं अनुरक्षण भत्ता प्राप्त किया कि इस वर्ग के छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया है। इन निजी कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जाती है अपितु अनुरक्षण भत्ते की राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से, केन्द्रों के माध्यम से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत विद्यार्थियों को दी जाती है। विद्यार्थियों के केन्द्रों में प्रवेश के उपरान्त ही उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के फार्म भरवाये जाते हैं। संक्षेप में प्रशिक्षण का भुगतान जिला अधिकारी द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत किया जाता है।

III. मूल्यांकन की आवश्यकता :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान निजी कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की विभिन्न विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों से मान्यता दर्शाकर निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर करोड़ों रूपयों का भुगतान किया गया परन्तु इन कम्प्यूटर केन्दों की वैधानिकता के सम्बन्ध में संशय उत्पन्न होने के कारण विभाग ने इन प्रशिक्षण केन्द्रों का मूल्यांकन कर यह जानने में रूचि दर्शायी कि विभिन्न कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को इस योजना का कितना लाभ मिला एवं उनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर कितने अभ्यर्थी रोजगार से लाभान्वित हुए है? अतः इन प्रशिक्षण केन्द्रों की उपयोगिता का आंकलन करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के प्रस्तावानुसार इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया गया।

IV. मूल्यांकन अध्ययन के उद्धेश्य :

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन हेतु निम्न उद्धेश्य निर्धारित किये गये हैं :–

(i) योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना
(ii) प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा दिये गये प्रशिक्षण के स्तर का आकलन करना
(iii) केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा करना
(iv) केन्द्रों की विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त मान्यता की वैधानिकता की समीक्षा करना
(v) कम्प्यूटर प्रशिक्षण की उपयोगिता ज्ञात करना
(vi) प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त लाभ एवं रोजगार की स्थिति का आकलन
(vii) योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयाँ ज्ञात कर योजना को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव देना।

V. न्यादर्श परिकल्पना :

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य में निजी प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा दिये कम्प्यूटर प्रशिक्षण के अध्ययन हेतु बहुस्तरीय रेण्डम सैम्पलिंग विधि का प्रयोग किया गया।

प्रथम स्तर पर जिलों को केन्द्रों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में जमाकर 25 प्रतिशत जिलों क्रमशः दौसा, जयपुर, सवाईमाधोपुर एवं करौली का चयन किया गया जिलों की सूचना ***परिशिष्ट–1*** पर उपलब्ध है।

द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से 50 प्रतिशत/न्यूनतम चार प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन चयनित जिले में उपलब्ध प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर किया गया। चार से कम केन्द्र होने पर सभी केन्द्रों को चयनित माना गया।

तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित केन्द्र से प्रशिक्षितों की सूची प्राप्त कर उसमें से साधारण न्यादर्श के आधार पर न्यूनतम दस एवं अधिकतम 15 लाभप्राप्तकर्ताओं से साक्षात्कार किया जाकर उनके विचार प्राप्त किये गये।

VI. सैम्पल साईज :

प्रस्तुत अध्ययन 4 जिलों के 20 प्रशिक्षण केन्द्रों के सर्वेक्षण पर आधारित है।

VII. प्रगति की समीक्षा :

योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक 5626 को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाकर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षित किये गये लाभान्वितों में 3315(58.92प्रतिशत) अनुसूचित जाति व 2311(41.08प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के थे।

चयनित जिलों को वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक कुल राशि 1505.00 लाख रुपये का आवंटन किया गया जिसके विरूद्ध राशि 1215.05 लाख रुपये का व्यय किया गया जो 80.68 प्रतिशत है ।

VIII. अध्ययन के परिणाम :

(i) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत संचालित निजी कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं को ही प्रशिक्षण दिया गया /दिया जाता है।

(ii) जिलों एवं केन्द्रों द्वारा आवंटित राशि का 80.68 प्रतिशत उपयोग किया गया।

(iii) राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि के उपयोग के एक से दो माह के मध्य विभाग को प्राप्त हो जाता है।

(iv) निजी प्रशिक्षण केन्द्रों को राशि का आवंटन केन्द्रों के पंजियन की जाँच एवं निरीक्षण उपरान्त किया गया/जाता है।

(v) निजी केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु आधुनिक तकनीक के कम्प्यूटर उपलब्ध थे।

(vi) केन्द्रों पर प्रशिक्षण की अवधि 7 से 12 माह एवं 19 माह से 24 माह तक निर्धारित की हुई है। प्रत्येक चयनित केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु 6 प्रशिक्षक नियुक्त थे एवं शत प्रतिशत प्रशिक्षक प्रशिक्षित थे।

(vii) प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को पी.जी.डी.सी.ए. व अन्य कोर्स की सैद्धान्तिक व्यावहारिक जानकारी, पी सी पैकेज प्रोग्रामिंग,एप्लीकेशन, ओपरेटिंग, कम्यूनिकेशन, हार्डवेयर, साफ्टवेयर इत्यादि की जानकारी दी गयी। चयनित लाभ प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं एम.एस.ऑफिस का एक वर्ष का प्रशिक्षण लिया गया, उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण हेतु कोई शुल्क नहीं लिया गया।

(viii) केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया/ जाता है।

(ix) केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् प्रमाण पत्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है।

(x) प्रशिक्षण का लाभ अधिकत्तर 21 वर्ष से 25 वर्ष एवं 26 से 30 वर्ष तक के छात्र/छात्राओं द्वारा ही प्राप्त किया गया ।

(xi) प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक, स्नातक,स्नातकोत्तर योग्यता वाले प्रशिक्षणार्थियों द्वारा लिया गया।

(xii) प्रशिक्षण उपरान्त 30 लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को पूर्ण रोजगार, 42 लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को अंशकालीन व 25 लाभ प्राप्तकत्ताओं को जाबवर्क प्राप्त हुआ।

(xiii) लाभ प्राप्तकत्ताओं को प्रशिक्षण के दौरान 330/– व 140/– रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी गयी व अनुरक्षण भत्ता 2050/– रुपये चैक/नकद के रूप में दिये गये।

(xiv) अध्ययन हेतु चयनित केन्द्रों में से सवाई माधोपुर एवं जयपुर द्वारा आवंटित राशि का शत–प्रतिशत उपयोग एवं दौसा द्वारा 98.89 प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया, लेकिन करौली द्वारा मात्र 13.69 प्रतिशत उपयोग किया गया।

(xv) केन्द्रों को राशि चैक व ड्राफ्ट के द्वारा प्राप्त होती है।

(xvi) प्रशिक्षण जिले की पंचायत समितियों व जिलों से बाहर व शहर के प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्राप्त किया जा रहा था/रहा है।

(xvii) प्राप्त रोजगार से लाभप्राप्तकर्ता संतुष्ट थे, आय प्राप्त हो रही थी। आय से जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव के अन्तर्गत सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र में व रहन सहन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ।

IX. कठिनाइयाँ :

(i) सर्वे में चयनित अधिकांश प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिकारियों ने मत व्यक्त किया कि अधिकांशतया समय पर बजट उपलब्ध हो जाता है लेकिन कुछ अधिकारियों ने बजट समय पर नहीं मिलना दर्शाया है।

(ii) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति नियम/प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और समय–समय पर इन नियमों में संशोधन किये जाने पर विभाग द्वारा (राज्य सरकार) भी आवश्यक संशोधन कर योजना क्रियान्वित की जाती है फलतः उस दौरान छात्रवृत्ति के भुगतान में विलम्ब हो जाता है। जिन छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाता और वे आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं उन्हें समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने से अन्य व्यवस्था करनी पड़ती है।

(iii) कम्प्यूटर फीस राशि समय पर उपलब्ध नहीं होती जिससे संबंधित विश्वविद्यालय की फीस व परीक्षा शुल्क, केन्द्रों के स्वयं के पास से भिजवाना पड़ता है।

(iv) बालकों का शैक्षणिक स्तर कमजोर होना तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्स अंग्रेजी मे होने के कारण कम समझ में आता है।

(v) अंग्रेजी का ज्ञान कम होने से प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार में कठिनाई।

(vi) प्रशिक्षणार्थियों को देय छात्रवृत्ति की राशि कम है।

(vii) जॉब वर्क नियमित नहीं मिलता। इन्टरनेट, साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर कोर्स की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(viii) चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिकांश अभ्यर्थियों ने समय पर छात्रवृत्ति स्वीकृत होना स्वीकार किया लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति समय पर स्वीकृत नहीं हुई। अधिकारियों से इस विषय में वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि दस्तावेज पूर्ण न होने के कारण छात्रवृत्ति समय पर स्वीकृत नहीं हो पायी।

(ix) विभाग द्वारा समय–समय पर केन्द्रों का निरीक्षण एवं मोनेटरिंग का अभाव पाया गया।

(x) अधिकांश स्थानों पर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं पाये गये ।

X. सुझाव :

(i) यद्यपि अधिकांश अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रशिक्षण के दौरान ही उपलब्ध हो जाती है लेकिन विभाग द्वारा यह प्रयास किये जाने की सिफारिश की जाती है कि शत–प्रतिशत छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान ही छात्रवृत्ति उपलब्ध करवा दी जावे।

(ii) शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। मेरिट के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अंग्रेजी का स्तर सुधारा जाना चाहिए।

(iii) कम्प्यूटर कोर्स को हिन्दी में भी समझाने की व्यवस्था कर दी जावे तो परिणाम अधिक बेहतर रहने की संभावना है।

(iv) महंगाई को देखते हुए छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

(v) प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार दिलवाये जाने की व्यवस्था से कार्यक्रम अधिक सफल होने की संभावना है।

(vi) केन्द्रों पर इन्टरनेट एवं हार्डवेयर संबंधी कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए।

(vii) इस कार्यक्रम को निरन्तर रखा जाना चाहिए जिससे एस.सी./एस.टी. के छात्र/छात्राओं को लाभ प्राप्त हो सके।

(viii) छात्रवृत्ति का भुगतान वर्ष के आरम्भ या मासिक किश्तों में किया जाना चाहिए जिससे छात्रों द्वारा अध्ययन सामग्री क्रय की जा सके।

XI. निष्कर्ष :

अध्ययन के निष्कर्ष से स्पष्ट हुआ है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया, राशि का केन्द्रों द्वारा समुचित उपयोग किया गया, केन्द्रों में आधुनिक तकनीक के कम्प्यूटर उपलब्ध थे, प्रशिक्षण की अवधि 7 से 12 माह एवं 19 माह से 24 माह तक थी, कम्प्यूटर कोर्स के प्रशिक्षण के दौरान नवीनतम जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को दी गयी। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण उपरान्त पूर्ण/अंशकालीन/जाबवर्क का रोजगार प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट रूप से यह अंकित किया जा सकता है कि प्रशिक्षण लाभप्रद रहा एवं आजीविका हेतु रोजगार प्राप्ति में सहायक हुआ।

———

अध्याय प्रथम

अध्ययन संरचना

1.1 प्रस्तावना :

1.1.1 राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करने हेतु वर्ष 1951–52 में पिछड़ी जाति कल्याण विभाग की स्थापना की गयी तदुपरान्त वर्ष 1955–56 से इस विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग एवं वर्ष 2006–07 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग रखा गया। इस विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के साथ–साथ समाज के अत्यधिक गरीब, अल्प संख्यक, निःशक्तजन, वृद्ध, विमुक्त एवं घुमन्तू और अन्य पिछड़ा वर्ग के भी आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास की अनेक योजनाएँ संचालित की जाती रही है।

1.2 योजना का स्वरूप :

1.2.1 भारत सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जाती है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान निजी कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों ने विभिन्न विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कर इस वर्ग (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के रूप में करोड़ों रूपयों का भुगतान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त किया है। इस योजना के तहत जिन विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रूपये तक है, इस योजना में छात्रवृत्ति (फीस एवं अनुरक्षण भत्ता) प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। विभाग से इन निजी कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों ने इस आश्वासन के तहत फीस एवं अनुरक्षण भत्ता प्राप्त किया कि इस वर्ग के छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया है। इन निजी कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जाती है अपितु अनुरक्षण भत्ते की राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से, केन्द्रों के माध्यम से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत विद्यार्थियों को दी जाती है। विद्यार्थियों के केन्द्रों में प्रवेश के उपरान्त ही उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के फार्म भरवाये जाते हैं। संक्षेप में प्रशिक्षण का भुगतान जिला अधिकारी द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत किया जाता है।

1.3 मूल्यांकन की आवश्यकता :

1.3.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान निजी कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की विभिन्न विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों से मान्यता दर्शाकर निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर करोड़ों रूपयों का भुगतान किया गया परन्तु इन कम्प्यूटर केन्दों की वैधानिकता के सम्बन्ध में संशय उत्पन्न होने के कारण विभाग ने इन प्रशिक्षण केन्द्रों का मूल्यांकन कर यह जानने में रूचि दर्शायी कि विभिन्न कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को इस योजना का कितना लाभ मिला एवं उनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर कितने अभ्यर्थी रोजगार से लाभान्वित हुए है? अतः इन प्रशिक्षण केन्द्रों की उपयोगिता का आंकलन करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के प्रस्तावानुसार इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया गया।

1.4 मूल्यांकन अध्ययन के उद्धेश्य :

1.4.1 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन हेतु निम्न उद्धेश्य निर्धारित किये गये हैं :–

1. योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना
2. प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा दिये गये प्रशिक्षण के स्तर का आकलन करना
3. केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा करना
4. केन्द्रों की विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त मान्यता की वैधानिकता की समीक्षा करना
5. कम्प्यूटर प्रशिक्षण की उपयोगिता ज्ञात करना
6. प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त लाभ एवं रोजगार की स्थिति का आकलन
7. योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयाँ ज्ञात कर योजना को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव देना।

1.5 न्यादर्श परिकल्पना :

1.5.1 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्य में निजी प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा दिये कम्प्यूटर प्रशिक्षण के अध्ययन हेतु बहुस्तरीय रेण्डम सैम्पलिंग विधि का प्रयोग किया गया।

1.5.2 प्रथम स्तर पर जिलों को केन्द्रों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में जमाकर 25 प्रतिशत जिलों क्रमशः दौसा, जयपुर, सवाईमाधोपुर एवं करौली का चयन किया गया जिलों की सूचना ***परिशिष्ट–1*** पर उपलब्ध है।

1.5.3 द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से 50 प्रतिशत/न्यूनतम चार प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन चयनित जिले में उपलब्ध प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर किया गया। चार से कम केन्द्र होने पर सभी केन्द्रों को चयनित माना गया।

1.5.4 तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित केन्द्र से प्रशिक्षितों की सूची प्राप्त कर उसमें से साधारण न्यादर्श के आधार पर न्यूनतम दस एवं अधिकतम 15 लाभप्राप्तकर्ताओं से साक्षात्कार किया जाकर उनके विचार प्राप्त किये गये।

1.6 **सैम्पल साईज :**

1.6.1 प्रस्तुत अध्ययन 4 जिलों के 20 प्रशिक्षण केन्द्रों के सर्वेक्षण पर आधारित है।

1.7 **अध्ययन के उपकरण** :

(1) **राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय प्रलेख अनुसूची :**
इस अनुसूची में राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर योजनान्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, देय छात्रवृत्ति एवं अनुरक्षण भत्ता आदि के संबंध में सूचना एकत्रित की गयी।

(2) **प्रशिक्षण केन्द्र अनुसूची** :
इस अनुसूची में केन्द्र द्वारा दिये प्रशिक्षणार्थी को दिये गये प्रशिक्षण, उपलब्ध सुविधायें, केन्द्र की मान्यता आदि के संबंध में सूचना एकत्रत की गयी।

(3) **लाभार्थी अनुसूची** :
इस अनुसूची में लाभ प्राप्तकर्ताओं से प्रशिक्षण उपरान्त प्राप्त स्वरोजगार एवं वैतनिक रोजगार की जानकारी एवं उपयोगिता का विवरण प्राप्त किया गया।

(4) **अभिभावक अनुसूची** :
इस अनुसूची में लाभ प्राप्तकर्ता के अभिभावक से प्रशिक्षण एवं रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

(5) **अवलोकन अनुसूची** :
इस अनुसूची में अन्वेषक एवं अनुसंधान सहायक द्वारा क्षेत्र के अवलोकन उपरान्त की वस्तुस्थिति अंकित की गयी।

(6) **अधिकारी/गैर अधिकारी अनुसूची** :
इस अनुसूची में योजना के क्रियान्वयन में लगे अधिकारी एवं गैर अधिकारियों के विचार प्राप्त किये गये।

(7) **ट्रेनर (प्रशिक्षक) अनुसूची** :
इसमें केन्द्र पर दिये गये/दिये जा रहे प्रशिक्षण से सम्बन्धित सूचना प्रशिक्षक से प्राप्त की गई।

1.8 **सन्दर्भ वर्ष** :

1.8.1 अध्ययन की सन्दर्भ अवधि योजना के प्रारम्भ वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की रखी गयी एवं अभिमत सर्वे तिथि के संग्रहित किये गये।

———

अध्याय द्वितीय

प्रगति की समीक्षा

2.1 राज्य में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2003–04 से प्रारम्भ किया गया। योजना की प्रगति का विश्लेषण प्रमुख अध्ययन में किया गया है।

2.2 योजना की हिस्सा राशि :

2.2.1 यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत राशि केन्द्रीय सरकार व 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। योजना के तहत निजी कम्प्यूटर केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को निम्न प्रशिक्षण दिये जाते हैं :–

1. Post Graduate Diploma in Computer Application
2. Diploma in Computer Application
3. Bachelor of Computer Application
4. Common Enterence Test
5. Computer Enable Test
6. Diploma in Information Technolgy
7. Post Graduate Dipioma in Information Technolgy
8. Diploma in Medical Lab Technolgy
9. Certifiate in Medical Lab Technolgy

2.3. प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षणार्थियों का विवरण :

2.3.1 चयनित जिलो में योजनान्तर्गत प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षणार्थियों का वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की प्रगति						
		अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			योग (5+8)
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1.	सवाईमाधोपुर	291	11	302	710	23	733	1035
2.	करौली	276	21	297	497	19	516	813
3.	जयपुर	2594	122	2716	1009	53	1062	3778
4.	दौसा	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na
	योग :	**3161**	**154**	**3315**	**2216**	**95**	**2311**	**5626**
	प्रतिशत :			**58.92**			**41.08**	**100**

प्रशिक्षणार्थियों के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये।

2.3.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा कुल 5626 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। 3315 (58.92 प्रतिशत) अनुसूचित जाति व 2311 (41.08 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं को प्रशिक्षित किया गया।

2.4 प्रशिक्षण केन्द्रों को आवंटित राशि व व्यय का विवरण :

2.4.1 केन्द्रों को आवंटित राशि व व्यय राशि वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	केन्द्रों की संख्या	वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की वित्तीय प्रगति		
			आवंटन	व्यय	शेष राशि
1.	सवाईमाधोपुर	10	174.72	174.72	–
2.	करौली	5	297.02	122.50	174.52
3.	दौसा	12	323.11	206.73	116.38
4.	जयपुर	37	711.10	711.10	–
	योग :	**64**	**1505.95**	**1215.05**	**290.90**
	प्रतिशत :			**80.68**	**19.32**

2.4.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में संचालित 64 प्रशिक्षण केन्द्रों को राशि 1505.95 लाख आवंटित की गयी, जिसके विरूद्ध राशि 1215.05 लाख व्यय किये गये जो 80.68 प्रतिशत है एवं राशि 290.90 लाख शेष रही जो 19.32 प्रतिशत है। अतः स्पष्ट है कि राशि का समुचित उपयोग किया गया।

2.5 उपयोगिता प्रमाण–पत्र के संबंध में :

2.5.1 सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र के संबंध में जानकारी दी गयी कि उपयोगिता प्रमाण पत्र लिया जाता है। राशि के उपयोग के एक माह से दो माह के मध्य उपयोगिता प्रमाण–पत्र संस्थाओं से प्राप्त कर लिया जाता है।

2.6 निरीक्षण के संबंध :

2.6.1 चयनित चार जिलों में से जयपुर जिले के अतिरिक्त सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान केन्द्रों का निरीक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण में शत प्रतिशत ने व्यक्त किया कि केन्द्रों को राशि आवंटन के पूर्व केन्द्रों के पंजीयन की जाँच की गयी।

2.7 योजना के क्रियान्वयन में आयी कठिनाईयों का विवरण :

2.7.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान योजना के क्रियान्वयन में आयी कठिनाईयों की जानकारी प्राप्त की गयी। चयनित चार जिलों में से दो जिलों द्वारा कठिनाईयाँ व्यक्त की गयी, जिसके अनुसार समय पर बजट का उपलब्ध नहीं होना बताया ।

———

अध्याय तृतीय

सर्वेक्षण का परिणाम

3.0 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं को निजी कम्प्यूटर केन्द्रों द्वारा दिये गये प्रशिक्षण के अध्ययन हेतु चयनित केन्द्रों, केन्द्रों में नियुक्त 119 प्रशिक्षकों में से चयनित किये गये 29 प्रशिक्षकों लाभप्राप्तकर्ताओं अभिभावकों के विचारों का विवरण इस अध्ययन में दिया जा रहा है।

3.1 **चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण** :

3.1.1 अध्ययन हेतु चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	चयनित केन्द्रों पर सीटों की संख्या
1	सवाईमाधोपुर	4	380
2	करौली	5	830
3	दौसा	6	1471
4	जयपुर	5	1546
	योग	**20**	**4227**

3.1.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण के स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में 20 प्रशिक्षण केन्द्र अध्ययन हेतु चयनित किये गये। जिनमें कुल 4227 सीटें प्रशिक्षण देने हेतु निर्धारित थी। अर्थात प्रति केन्द्र औसतन 212 सीटें निर्धारित थी।

3.1.3 सर्वेक्षण में केन्द्रों से आधुनिक तकनीक के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी। जानकारी में शत प्रतिशत ने बताया कि प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटर की आधुनिक तकनीक उपलब्ध है।

3.2 **आधुनिक तकनीकों के कम्प्यूटरों का विवरण** :

3.2.1 सर्वेक्षण में केन्द्र में उपलब्ध आधुनिक तकनीको के कम्प्यूटरों की संख्या प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	मद का नाम	चयनित केन्द्र	संख्या का विवरण					
			सवाईमाधोपुर	करौली	दौसा	जयपुर	योग	औसत कम्प्यूटर
1.	कम्प्यूटर	20	74	161	116	139	490	25
2.	प्रिन्टर	20	9	12	17	16	54	3
3.	की बोर्ड	20	74	161	116	139	490	25
4.	यू.पी.एस.	20	52	32	27	82	193	10
5.	माऊस	20	74	161	116	139	490	25
6.	इनवर्टर	20	–	–	2	–	2	–
	योग :	**120**	**283**	**527**	**394**	**515**	**1719**	**88**

3.2.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित 20 केन्द्र में कुल 490 कम्प्यूटर, 54 प्रिन्टर, 193 यू.पी.एस एवं 2 इन्वर्टर थे। जयपुर जिले में सर्वाधिक 139 कम्प्यूटर व सवाईमाधोपुर सबसे कम 74 कम्प्यूटर थे। शत प्रतिशत केन्द्रों द्वारा व्यक्त किया गया कि कम्प्यूटरों को डस्ट व नमी से सुरक्षा की हुई है।

3.3 **केन्द्रों पर प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि** :

3.3.1 चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों पर दिये जा रहे प्रशिक्षण की अवधि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र.सं.	चयनित जिला	प्रशिक्षण केन्द्र संख्या	प्रशिक्षण की निर्धारित अवधिवार केन्द्रों की संख्या (माह)	
			7–12	19–24 एवं अधिक
1.	सवाईमाधोपुर	4	4	–
2.	करौली	5	3	2
3.	दौसा	6	4	2
4.	जयपुर	5	3	2
	योग :	**20**	**14**	**6**
	प्रतिशत :	**–**	**70.00**	**30.00**

3.3.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित 20 केन्द्रों में से 14(70.00 प्रतिशत) में प्रशिक्षण 7 माह से 12 माह तक का निर्धारित है व 6(30.00 प्रतिशत) में 19 से 24 माह तक का निर्धारित है। निर्धारित अवधि के दिये गये प्रशिक्षण केन्द्रो का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	प्रशिक्षण केन्द्र संख्या	दिये गये प्रशिक्षण अवधिवार केन्द्रों की संख्या (माह)			
			7–12	19–24	24 माह से अधिक	प्रशिक्षण देने वालों की संख्या
1.	सवाईमाधोपुर	4	4	–	–	19
2.	करौली	5	2	3	–	28
3.	दौसा	6	2	3	1	32
4.	जयपुर	5	3	–	2	40
	योग :	**20**	**11**	**6**	**3**	**119**
	प्रतिशत :	**–**	**55.00**	**30.00**	**15.00**	

3.3.3 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि 7–12 माह की अवधि का प्रशिक्षण 11(55.00 प्रतिशत) केन्द्रों द्वारा दिया गया, 19 से 24 माह का प्रशिक्षण 6(30.00 प्रतिशत) द्वारा दिया गया, 3(15.00 प्रतिशत) केन्द्रों द्वारा 24 से अधिक माह का प्रशिक्षण दिया गया । निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण देने हेतु 119 प्रशिक्षक नियुक्त हैं अर्थात प्रति केन्द्र 6 प्रशिक्षक नियुक्त हैं।

3.4 प्रशिक्षक का तकनीक स्तर का विवरण :

3.4.1 चयनित केन्द्रों पर 119 प्रशिक्षक नियुक्त थे सभी प्रशिक्षक ट्रेनिग प्राप्त थे तथा उन्हें कम्प्यूटर की सैद्धान्तिक व प्रेक्टिकल जानकारी थी । चयनित केन्द्रवार प्रशिक्षकों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	प्रशिक्षण केन्द्र संख्या	प्रशिक्षकों की संख्या	
			प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
1.	सवाईमाधोपुर	4	19	–
2.	करौली	5	28	–
3.	दौसा	6	32	–
4.	जयपुर	5	40	–
	योग	**20**	**119**	**–**
	प्रतिशतः	**–**	**100**	**–**

3.4.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित 20 केन्द्रों में नियुक्त शत प्रतिशत 119 प्रशिक्षक प्रशिक्षित थे।

3.4.3 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित केन्द्रों में से शत प्रतिशत प्रशिक्षक प्रशिक्षित थे।

3.5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को दिये गये प्रशिक्षण के सम्बन्ध में :

3.5.1 केन्द्र द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को दिये गये प्रशिक्षण की जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	प्रशिक्षण केन्द्र संख्या	अनु.जाति/अनु. सूचित जनजाति को प्रशिक्षण		हाँ तो जानकारी का विवरण					
			हाँ	नहीं	1	2	3	4	5	NR
1.	सवाईमाधोपुर	4	4	–	2	–	–	–	–	2
2.	करौली	5	5	–	–	1	3	1	–	–
3.	दौसा	6	6	–	2	–	3	–	1	–
4.	जयपुर	5	5	–	–	–	4	–	1	–
	योग :	**20**	**20**	**–**	**4**	**1**	**10**	**1**	**2**	**2**
	प्रतिशत :		**100**	**–**	**20.00**	**5.00**	**50.00**	**5.00**	**10.00**	**10.00**

कोड नम्बर–

1. पी.जी.डी.सी.ए व अन्य कोर्स की समस्त सैद्धान्तिक व्यावहारिक जानकारी दी गयी।
2. डी.सी.ए. एवं प्रारम्भिक जानकारी, पी.सी.पैकेज, प्रोग्रामिंग की जानकारी।
3. कोर्स के अनुसार सैद्धान्तिक व प्रयोगिक सभी जानकारी दी गयी।
4. पी.सी पैकेज, एप्लीकेशन, आपरेटिग प्रोग्रामिग, कम्प्यूनिकेशन, प्रारम्भिक सैद्धान्तिक जानकारी।
5. हार्डवेयर साफ्टवेर, अंग्रेजी बोलना, टेक्नोलोजी व व्यक्ति विकास की जानकारी।

3.5.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित शत प्रतिशत 20 केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण दिये गये केन्द्रों में से 4(20.00 प्रतिशत) द्वारा पी.जी.डी.सी.ए. व अन्य कोर्स की समस्त सैद्धान्तिक व्यावहारिक जानकारी दी गयी, 1(5.00 प्रतिशत) द्वारा डी.सी.ए. एवं प्रारम्भिक जानकारी, पी.सी. पैकेज, प्रोग्रामिंग की जानकारी दी गयी, 10(50.00 प्रतिशत) केन्द्रों द्वारा कोर्स के अनुसार सैद्धान्तिक व प्रायौगिक सभी जानकारी दी गयी, 1(5.00 प्रतिशत) द्वारा पी सी पैकेज, एप्लीकेशन,आोपरेटिंग,प्रोग्रामिंग,कम्यूनिकेशन, प्रारम्भिक सैद्वान्तिक जानकारी दी गयी एवं 2(10.00 प्रतिशत) द्वारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अंग्रेजी बोलना, टेक्नोलॉजी व व्यक्ति विकास की जानकारी दी गयी। 2(10.00प्रतिशत) द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

3.6 चयनित केन्द्रो द्वारा दिये गये प्रशिक्षणार्थियों का विवरण :

3.6.1 चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों की सीटों की संख्या, प्रवेशितों की संख्या व प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का विवरण वर्ष 2003–04 से 2004–05 तक का निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	केन्द्र की संख्या	वर्षवार प्रगति							
			2003–04				2004–05			
			अ	ब	स		अ	ब	स	
					बालक	बालिकाएँ			बालक	बालिकाएँ
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	सवाईमाधोपुर	4	344	101	99	2	344	375	370	5
2.	करौली	5	820	550	529	21	820	288	272	16
3.	दौसा	6	120	207	203	4	1441	898	865	33
4.	जयपुर	5	936	297	263	34	1256	543	495	48
	योग :	**20**	**2220**	**1155**	**1094**	**61**	**3861**	**2104**	**2002**	**102**
	प्रतिशत :									

.....लगातार

क्र. सं.	चयनित जिला	केन्द्र की संख्या	वर्षवार प्रगति							
			2005–06				योग			
			अ	ब	स		अ	ब	स	
					बालक	बालिकाएँ			बालक	बालिकाएँ
			12	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1.	सवाईमाधोपुर	4	**344**	**419**	**412**	**7**	**1032**	**895**	**881**	**14**
2.	करौली	5	**350**	**19**	**11**	**8**	**1990**	**857**	**812**	**45**
3.	दौसा	6	**1496**	**884**	**822**	**62**	**3057**	**1989**	**1890**	**99**
4.	जयपुर	5	**1256**	**600**	**526**	**74**	**3448**	**1440**	**1284**	**156**
	योग :	**20**	**3446**	**1922**	**1771**	**151**	**9527**	**5181**	**4867**	**314**
	प्रतिशत :							**54.38**	**93.94**	**6.06**

*** अः सीटों की संख्या, बः प्रवेशितों की संख्या, सः प्रशिक्षणार्थियों की संख्या**

3.6.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में अध्ययन हेतु चयनित 20 केन्द्रों की कुल प्रवेश क्षमता 9527 के विपरीत 5181 प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया गया जो 54.38 प्रतिशत है। प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों में से बालक 4867 (93.94 प्रतिशत) एवं बालिकाएँ 314(6.06 प्रतिशत) हैं।

3.7 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त राशि के सम्बन्ध में :

3.7.1 सर्वेक्षण में चयनित शत प्रतिशत केन्द्रों ने मत व्यक्त किया कि राशि प्राप्त हुई। जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है। प्राप्त राशि का वर्ष 2003–04 से वर्ष 2005–06 का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित केन्द्र	वर्षवार राशि का विवरण											
			2003–04			2004–05			2005–06			योग		
			प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष
1.	सवाईमाधोपुर	4	12.95	12.95	–	52.91	52.91	–	76.94	76.94	–	142.80	142.80	–
2.	करौली	5	99.48	3.72	95.76	383.69	69.79	313.90	420.48	50.21	370.27	903.65	123.72	779.93
3.	दौसा	6	72.97	72.97	–	26.78	26.08	0.70	26.78	26.08	0.70	126.53	125.13	1.40
4.	जयपुर	5	32.83	32.83	–	80.94	80.94	–	80.94	80.94	–	194.71	194.71	–
	योग :	**20**	**218.23**	**122.47**	**95.76**	**544.32**	**229.72**	**314.60**	**605.14**	**234.17**	**370.97**	**1367.69**	**586.36**	**781.33**
	प्रतिशत :												**42.87**	**57.13**

3.7.2 उपरोक्त तालिका का जिलेवार विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि चयनित चार जिलों में से सवाईमाधोपुर एवं जयपुर को आवंटित राशि का शत प्रतिशत उपयोग किया गया। शेष जिले करौली एवं दौसा को आवंटित राशि में से गत तीन वर्षो में करौली द्वारा मात्र 13.69 प्रतिशत एवं दौसा द्वारा 98.89 प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया । अतः करौली के प्रशिक्षण केन्द्रों के निरीक्षण की आवश्यकता है।

3.7.3 सर्वेक्षण में शत प्रतिशत चयनित केन्द्र के उत्तरदाताओं ने बताया कि राशि का उपयोगिता प्रमाण विभाग को भेजा जाता है।

3.8 राशि प्राप्ति का माध्यम :

3.8.1 चयनित 20 केन्द्र उत्तरदाताओं में से 16केन्द्रों के अधिकारियों ने (80.00 प्रतिशत) ने बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा राशि चैक से, 3(15.00 प्रतिशत) ने ड्राफ्ट से व 1(5.00 प्रतिशत) ने नकद द्वारा जिला अधिकारी से राशि प्राप्त होना बताया।

3.9 प्रशिक्षणार्थियों का क्षेत्रवार विवरण :

3.9.1 चयनित केन्द्रों में प्रशिक्षण लेने आने के संबंध में प्रत्येक 4(20प्रतिशत) केन्द्रों के अधिकारियों ने तहसील क्षेत्र से एवं आसपास के क्षेत्र से तथा 16(80प्रतिशत)ने जिले की पंचायत समितियों, अन्य जिलों से एवं शहर से प्रशिक्षण प्राप्त करने आना व्यक्त किया।

3.10 **रोजगार हेतु पत्र जारी करने के संबंध में** :

3.10.1 सर्वेक्षण के दौरान चयनित 20 केन्द्रों में से 14 केन्द्रों द्वारा(70.00 प्रतिशत) रोजगार हेतु पत्र जारी किये गये, 5(25.00प्रतिशत) ने पत्र जारी नहीं किये व 1(5.00 प्रतिशत)केन्द्र द्वारा उत्तर नहीं दिया।

3.10.2 सर्वेक्षण में ना में मत व्यक्त करने वाले केन्द्र उत्तरदाताओं ने रोजगार पत्र जारी नहीं करने के कारण प्राप्त किये गये जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	केन्द्रों की संख्या	कारणों का विवरण	
			1	*2*
1.	सवाईमाधोपुर	3	2	–
2.	करौली	2	2	1
3.	दौसा	–	–	–
4.	जयपुर	–	–	–
	योग :	**5**	**4**	**1**
	प्रतिशत :		**80.00**	**20.00**

नोट : एक से अधिक उत्तर होने के कारण प्रतिशत अधिक है।

कोड नम्बर–

1. रोजगार हेतु संस्था से सम्पर्क नहीं।
2. बच्चों के बाहर व कार्य में रूचि नहीं।

3.10.3 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में से4(80.00 प्रतिशत) ने रोजगार मिलने के संबंध में संस्था से सम्पर्क नहीं किया 1 (20.00प्रतिशत) बच्चों ने शहर के बाहर कार्य में रूचि नहीं लेने से रोजगार नहीं मिला।

3.11 **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं में प्रशिक्षण के प्रति रूचि की जानकारी का विवरण :**

3.11.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित 20 केन्द्रों में से 18(90.00प्रतिशत) ने व्यक्त किया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं द्वारा प्रशिक्षण में रूचि ली जाती है। जबकि 2(10.00प्रतिशत) ने पारिवारिक पृष्ठभूमि ग्रहण क्षमता का अभाव एवं शिक्षा का स्तर कमजोर होने के कारण रूचि नहीं लेना बताया

3.12 **प्रमाण–पत्र के संबंध में जानकारी** :

3.12.1 चयनित 20 केन्द्रों में से 17(85.00प्रतिशत) केन्द्रों के प्रभारी द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा समय पर प्रमाण पत्र प्राप्त होना बताया गया जबकि शेष 3(15.00प्रतिशत) के प्रभारी द्वारा समय पर प्राप्त न होना बताया गया।

3.13. **प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में :**

3.13.1 सर्वेक्षण के दौरान कुल चयनित 20 केन्द्रों के सभी 29 प्रशिक्षकों में से 23(79.31 प्रतिशत) को कम्प्यूटर संचालन का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त था एवं शेष 6(20.69 प्रतिशत) को कम्प्यूटर का व्यवहारिक अनुभव नहीं था।

3.14. **मानदेय का विवरण** :

3.14.1 केन्द्र में नियुक्त प्रशिक्षक को दिये जा रहे मासिक मानदेय का विवरण प्राप्त किया गया, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है–

(रूपयों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता की संख्या	मासिक मानदेय का विवरण			
			0.03	3000–6000	6000–9000	9000–12000
1.	सवाईमाधोपुर	9	2	7	–	–
2.	करौली	9	–	9	–	–
3.	दौसा	6	1	1	3	1
4.	जयपुर	5	–	2	1	2
	योग :	**29**	**3**	**19**	**4**	**3**
	प्रतिशत :		**10.34**	**65.52**	**13.80**	**10.34**

3.14.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित 29 उत्तरदाताओं में से क्रमशः 3(10.34 प्रतिशत) को 3000 रूपये मासिक, 19(65.52 प्रतिशत) को 6000 रूपये मासिक एवं 4(13.80 प्रतिशत) को 6000 से 9000 रूपये मासिक प्राप्त हो रहे थे। इसके अतिरिक्त 3(10.34 प्रतिशत) को 9000 रूपये से 12000 रूपये मासिक प्राप्त हो रहे थे। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक प्रशिक्षक को 3000 से 6000 रूपये मासिक मानदेय दिया जा रहा था।

3.15 **प्रशिक्षण के दौरान दी गयी जानकारी का विवरण** :

3.15.1 प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक द्वारा दी गयी जानकारी प्राप्त की गयी जिसके अनुसार चयनित 29 प्रशिक्षक उत्तरदाताओं में से 22 (75.86 प्रतिशत) द्वारा विभिन्न कोर्स की आधारभूत जानकारी दी गयी, 11(37.93 प्रतिशत) द्वारा फैक्स, प्रोग्रामिंग, आपरेशन प्रोग्रामिंग, इन्टरनेट की जानकारी दी गयी, 3(10.34 प्रतिशत) द्वारा यूनिवर्सिटी सिलेबस अनुसार जानकारी दी गयी, 5(17.24 प्रतिशत) ने प्रशिक्षण कोर्स की सैद्धान्तिक व प्रायौगिक जानकारी दी गयी 4(13.79 प्रतिशत) द्वारा प्रोग्रामिंग, सूचना टेक्नोलोजी कार्यालय ऐपलिकेशन, कम्प्यूटर भाषा की जानकारी दी गयी।

3.15.2 सर्वेक्षण में शत प्रतिशत ने व्यक्त किया कि एस.सी./एस.टी. में प्रशिक्षण के प्रति रूझान है।

3.16 लाभप्राप्तकर्ता का विवरण :

3.16.1 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अध्ययन हेतु चयनित 20 केन्द्रों में 188 लाभप्राप्तकर्ता का चयन किया गया। प्रशिक्षण के संबंध में लाभार्थियों के विचारों का विवरण निम्न मदों में प्रस्तुत किया जा रहा है।

3.17 चयनित उत्तरदाताओं का जातिवार विवरण :

3.17.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये उत्तरदाताओं का जातिवार लिंगवार व आयुवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तर–दाताओं की संख्या	जाति		लिंग		आयु			
			अनु. जाति	अनु. जन–जाति	छात्र	छात्रा	20 वर्ष तक	21–25 वर्ष	26–30 वर्ष	30 वर्ष से अधिक
1.	सवाईमाधोपुर	60	21	39	56	4	1	25	29	5
2.	करौली	18	10	8	18	–	–	12	6	–
3.	दौसा	60	29	31	52	8	6	31	20	3
4.	जयपुर	50	23	27	41	9	1	33	13	3
	योग :	**188**	**83**	**105**	**167**	**21**	**8**	**101**	**68**	**11**
	प्रतिशत :		**44.15**	**55.85**	**88.83**	**11.17**	**4.26**	**53.72**	**36.17**	**5.85**

3.17.2 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अध्ययन हेतु चयिनत जिलों में 188 लाभान्वितों का चयन किया गया जिसमें से 83(44.15 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के, 105(55.85 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित थे अर्थात अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा अधिक लाभ प्राप्त किया गया । तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि चयनित लाभान्वितों में छात्रों का प्रतिशत 88.83 है जबकि छात्राओं का प्रतिशत 11.17 है। चयनित लाभान्वितों की आयु का विश्लेषण यह दर्शाता है कि सबसे अधिक 21 से 25 वर्ष तक के छात्र/छात्राओं द्वारा लाभ प्राप्त किया गया है।

3.18 चयनित लाभान्वितों की शैक्षणिक योग्यता का विवरण :

3.18.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये लाभान्वितों के शैक्षणिक स्तर का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र.सं.	चयनित जिला	लाभान्वितों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता		
			उच्च माध्यमिक	स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	सवाईमाधोपुर	60	31	8	21
2.	करौली	18	7	8	3
3.	दौसा	60	5	42	13
4.	जयपुर	50	6	33	11
	योग :	**188**	**49**	**91**	**48**
	प्रतिशत :		**26.06**	**48.41**	**25.53**

3.18.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित लाभान्वितों में से क्रमशः 49(26.06 प्रतिशत) उच्च माध्यमिक योग्यता वाले, 91(48.41 प्रतिशत) स्नातक एवं 48(25.53 प्रतिशत) स्नातकोत्तर योग्यता वाले थे।

3.19 प्रशिक्षण के संबंध में :

3.19.1 सर्वेक्षण के दौरान चयनित शत प्रतिशत लाभ प्राप्तकर्ताओं ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान कम्प्यूटर संचालन, प्रोग्रामिंग हार्डवेयर, साफ्टवेयर एवं एम.एस. ऑफिस की जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण की अवधि के संबंध में चयनितों में से 171(90.96 प्रतिशत) ने एक वर्ष, 11(5.85 प्रतिशत) ने दो वर्ष, 6(3.19 प्रतिशत) ने तीन वर्ष प्रशिक्षण की अवधि होना बताया। अतः स्पष्ट है कि अधिकतर लाभप्राप्तकर्ताओं ने एक वर्ष का प्राप्त किया। चयनित लाभान्वितों में से 164(87.23 प्रतिशत) का मत था कि प्रशिक्षण पूर्ण अवधि का दिया गया। शेष 24(12.77 प्रतिशत) ने पूर्ण अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	पूर्ण अवधि का प्रशिक्षण		
			हाँ	नहीं	योग
1.	सवाईमाधोपुर	60	60	–	60
2.	करौली	18	18	–	18
3.	दौसा	60	41	19	60
4.	जयपुर	50	45	05	50
	योग :	**188**	**164**	**24**	**188**
	प्रतिशत :		**87.23**	**12.77**	**100**

3.19.2 सर्वेक्षण में जिन उत्तरदाताओं ने पूर्ण अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया उनमें से 22(91.66 प्रतिशत) ने छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण, शुल्क जमा नहीं होने के कारण, 1(4.17 प्रतिशत) ने केन्द्र बन्द होने के कारण, 1(4.17 प्रतिशत) ने घरेलू कारण बताया।

3.20 प्रशिक्षण पर्याप्त एवं लाभकारी :

3.20.1 चयनित लाभप्राप्तकताओं में से 156(82.98 प्रतिशत) का मत था कि प्रशिक्षण लाभकारी एवं पर्याप्त था जबकि 32(17.02 प्रतिशत) प्रशिक्षण से सन्तुष्ट नहीं थे। असन्तुष्ट वाले लाभ प्राप्तकर्ताओं में से 5(15.63 प्रतिशत) ने स्थानीय स्तर पर रोजगार न मिलना, 2(6.25 प्रतिशत) ने आगे अध्ययनरत, 17(53.12 प्रतिशत) ने चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा नहीं होने के कारण, 8(25.00 प्रतिशत) ने शुल्क जमा नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया, कारण व्यक्त किये गये। शत प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि केन्द्र पर पूर्ण संसाधन थे। जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटर, यू.पी.एस., फर्नीचर, प्रिन्टर आदि थे।

3.21 संस्था द्वारा शुल्क के संबंध में जानकारी :

3.21.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित लाभ प्राप्तकर्ताओं में से 13(6.91 प्रतिशत) ने मत व्यक्त किया कि केन्द्र द्वारा शुल्क लिया गया, जबकि 175 लाभार्थियों ने शुल्क नहीं दिये जाने के बारे में जानकारी दी जिससे यह स्पष्ट होता है कि शुल्क सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिया जाता है।

3.22 प्रमाण–पत्र के संबंध में :

3.22.1 चयनित उत्तरदाताओं में से 108(57.45 प्रतिशत) को प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुके थे। शेष 80(42.55 प्रतिशत) को प्राप्त नहीं हुऐ थे। जिसके संबंध में 65(81.25 प्रतिशत) ने बताया कि प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाता है, 22(27.50 प्रतिशत) के द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होने के कारण प्रशिक्षण अधूरा रह गया, 8 (10.00 प्रतिशत) लाभार्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुल्क नहीं देने से परिणाम घोषित नहीं किया गया।

3.23 छात्रवृत्ति के संबंध में :

3.23.1 चयनित समस्त 188 लाभ प्राप्तकर्ताओं ने छात्रवृत्ति दिया जाना व्यक्त किया जिनमें से 68 (36.17प्रतिशत) ने नकद दिया जाना स्वीकारा नकद में मत प्रकरट करने वाले उत्तरदाताओं में से 34(50.00प्रतिशत) ने छात्रवृत्ति नकद/चैक द्वारा 330/– प्रतिमाह दिया जाना बताया एवं 16(23.52 प्रतिशत) ने 140/–प्रतिमाह नकद/चैक द्वारा तथा 18(26.47 प्रतिशत) ने केवल करौली जिले में 2050 रूपये नकद /चैक द्वारा अनुरक्षण भत्ता दिया जाना बताया।

3.24 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण के संबंध में प्रशिक्षको के विचार प्राप्त किये गये जिसका विवरण निम्न मदों में दिया जा रहा है :

3.24.1 सर्वेक्षण के दौरान प्रशिक्षक की योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि चयनित केन्द्रों के 29 प्रशिक्षक स्नातक, पी.जी., बी.एड. एवं ओ–लेवल के साथ–साथ डी.सी.ए., एम.सी.ए. व एम.एस.सी. कम्प्यूटर साइन्स की योग्यता वाले थे। जिलेवार विवरण नीचे तालिका में दिया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	कोड							
			1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	सवाईमाधोपुर	9	2	2	2	3	1	7	1	–
2.	करौली	9	1	–	1	1	–	5	–	2
3.	दौसा	6	–	1	4	–	–	5	–	1
4.	जयपुर	5	–	1	1	–	–	3	–	3
	योग	**29**	**3**	**4**	**8**	**4**	**1**	**20**	**1**	**6**
	प्रतिशत		**10.34**	**13.79**	**25.58**	**13.79**	**27.58**	**68.96**	**3.45**	**20.68**

नोट : एक से अधिक उत्तर होने के कारण प्रतिशत अधिक है।

कोड नम्बर–

1. स्तानक
2. स्तानक की एड़
3. स्नोकोत्तर
4. स्कोनोत्तर की एड़
5. ओलेवल
6. स्नोकोत्तर डी.सी.ए.
7. डिप्लोमा कम्प्यूटर एम्पलायन्स
8. एम.सी.ए.

3.24.2 **कम्प्यूटर प्रशिक्षण के संबंध में प्रशिक्षणार्थियों के अभिभावकों के विचार प्राप्त किय गये जिसका विवरण निम्न मदों में दर्शाया जा रहा है।**

3.25 **चयनित अभिभावकों का विवरण** :

3.25.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये अभिभावकों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता की संख्या	जाति		अभिभावक की शैक्षणिक योग्यता					
			अनु. जाति	अनु. जनजाति	साक्षर	निरक्षर	मिडिल	सैकेण्ड्री	हायर सैकण्ड्री	स्नातक/ स्नातकोत्तर
1.	सवाईमाधोपुर	59	21	38	19	29	5	2	1	3
2.	करौली	17	9	8	10	1	5	1	–	–
3.	दौसा	56	25	31	14	25	5	6	2	4
4.	जयपुर	50	21	29	14	14	11	6	4	1
	योग :	**182**	**76**	**106**	**57**	**69**	**26**	**15**	**7**	**8**
	प्रतिशत :		**41.76**	**58.24**	**31.32**	**37.91**	**14.28**	**8.24**	**3.85**	**4.40**

3.25.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन हेतु चयनित 182 अभिभावकों में से 76(41.76 प्रतिशत) अनु. जाति एवं 106(58.24 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के थे।

3.25.3 चयनित 182 अभिभावकों में से क्रमशः 57(31.32 प्रतिशत) साक्षर, 69(37.91 प्रतिशत) निरक्षर, 26(14.28 प्रतिशत) मिडिल एवं 15(8.24 प्रतिशत) सैकण्ड्री पासयोग्यता वाले थे। इसके अतिरिक्त 7(3.85 प्रतिशत) हायर सैकण्ड्री, 8 (4.40 प्रतिशत) स्नातक/स्नातकोत्तर की योग्यता रखते थे।

3.25.4 सर्वेक्षण में पाया गया कि चयनित अभिभावकों में से क्रमशः 94(51.65 प्रतिशत) कृषि, 50(27.47 प्रतिशत) मजदूरी, 8(4.40 प्रतिशत) कृषि मजदूरी, 4(2.19प्रतिशत) कम्प्यूटर ऑपरेटर व 8 (4.40 प्रतिशत) व्यापार में कार्यरत थे। 4(2.19 प्रतिशत) कृषि, पशुपालन एवं 10(5.49 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया।

3.26 चयनित अभिभावकों की वार्षिक आय :

3.26.1 अध्ययन हेतु चयनित अभिभावकों की वार्षिक आय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित उत्तरदाताओ की संख्या	वार्षिक आय					
			0.15– 0.30	0.30– 0. 45	0.45– 0.60	0.60– 0.75	0.75 एवं अधिक	योग
1.	सवाईमाधोपुर	59	33	10	13	3	–	
2.	करौली	17	–	1	7	9	–	
3.	दौसा	56	29	19	5	2	1	
4.	जयपुर	50	21	20	7	2	–	
	योग :	**182**	**83**	**50**	**32**	**16**	**1**	
	प्रतिशत :		**45.60**	**27.47**	**17.58**	**8.79**	**0.55**	

3.26.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित अभिभावकों में से 83(45.60 प्रतिशत) की वार्षिक 0.15 से 0.30 लाख, 50(27.47 प्रतिशत) की 0.30 से 0.45 लाख व 32(17.58 प्रतिशत) की 0.45 से 0.60 लाख एवं 16(8.79 प्रतिशत) की 0. 60 से 0.75 लाख थी केवल 1(0.55 प्रतिशत) की आय 0.75 लाख से अधिक थी।

3.27 प्रशिक्षण केन्द्र के संबंध में :

3.27.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित अभिभावकों से प्रशिक्षण केन्द्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	जिला	उत्तरदाता की संख्या	प्रशिक्षण केन्द्र संचालित		बालक बालिका द्वारा प्रशिक्षण		प्रशिक्षण ठीक है		यदि हाँ तो किस प्रकार					
			हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	1	2	3	4	5	6
1.	सवाईमाधोपुर	59	59	–	59	–	59	–	27	2	27	2	–	1
2.	करौली	17	17	–	17	–	11	6	–	1	9	1	–	–
3.	दौसा	56	56	–	56	–	51	5	31	–	4	–	18	–
4.	जयपुर	50	50	–	50	–	48	2	32	1	2	10	1	2
	योग :	**182**	**182**	**–**	**182**	**–**	**169**	**13**	**90**	**4**	**42**	**13**	**19**	**3**
	प्रतिशत :		**100**		**100**		**92.86**	**7.14**	**53.25**	**2.37**	**24.85**	**7.69**	**11.24**	**1.77**

कोड नम्बर–

1. रोजगार मिला।
2. आंशिक रोजगार में सहायक हुआ।
3. कम्प्यूटर संचालन का अनुभव हुआ।
4. रोजगार प्राप्ति हेतुं योग्यता मिली।
5. प्रशिक्षण निःशुल्क मिला।
6. शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि हुई।

3.27.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में शत प्रतिशत अभिभावकों का मत था कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जा रहा है एवं बालक/बालिकाएँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। चयनित अभिभावकों में से 169(92.86 प्रतिशत) का मत था कि प्रशिक्षण ठीक था व 13(7.14 प्रतिशत) का मत नहीं था।

3.27.3 प्रशिक्षण ठीक था में मत प्रकट करने वालों में से क्रमशः 90(53.25 प्रतिशत) ने रोजगार मिला, स्वावलम्बी बने व्यक्त किया, 4(2.37 प्रतिशत) ने आंशिक रोजगार में सहायक, रोजगार के अधिक अवसर मिले, 42(24.85 प्रतिशत) ने कम्प्यूटर संचालन का अनुभव हुआ, कम्प्यूटर दक्षता व प्रमाण–पत्र मिला, 13(7.69 प्रतिशत) रोजगार प्राप्ति हेतु योग्यता मिली, आर्थिक स्तर में सुधार हुआ, 19(11.24 प्रतिशत) ने प्रशिक्षण निःशुल्क मिला एवं 3(1.77 प्रतिशत) ने शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि हुई, शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ बताया। सर्वेक्षण में प्रशिक्षण ठीक नहीं था के संबंध में एक से अधिक कारण बताये गये जिसके अन्तर्गत 6(46.16 प्रतिशत) ने सेमेस्टर की परीक्षा नहीं होने से, 5(38.46 प्रतिशत) ने कोई रोजगार नहीं मिलने से, 2(15.38 प्रतिशत) ने प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ बताया।

3.28 **प्रशिक्षण केन्द्र के संबंध में** :

3.28.1 चयनित 182 उत्तरदाताओं में से 160(87.91 प्रतिशत) का मत था कि केन्द्र प्रशिक्षण देने में समर्थ हैं शेष 22(12.08 प्रतिशत) का मत था कि नहीं । जिन उत्तरदाताओं का मत था कि प्रशिक्षण देने में सक्षम था। उनमें से 154(96.25 प्रतिशत) ने बताया कि केन्द्र पूर्ण सुसज्जित था शेष 6(3.75 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया। चयनित अभिभावकों में से 159(87.36 प्रतिशत) का मत था कि छात्रवृत्ति प्राप्त हुई व 23(12.64 प्रतिशत) का मत था कि नहीं हुई । हाँ में मत व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि 140 व 340 रूपये की दर से छात्रवृत्ति के रूप में राशि प्राप्त हुई।

3.28.2 ना में मत व्यक्त करने वाले 23 उत्तरदाताओं में से 20(86.96 प्रतिशत) ने सामाजिक अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाना। 1(4.35 प्रतिशत) ने प्रशिक्षण सत्र के बीच में छोड़ देना, व्यक्त किया, 2(8.69 प्रतिशत) ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा सीधे ही शुल्क दे दिया गया व्यक्त किया गया।

3.29 **प्रशिक्षण की उपयोगिता** :

3.29.1 प्रशिक्षण की उपयोगिता के संबंध में चयनित अभिभावको के विचारा का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता की संख्या	उपयोगी रहा		यदि हाँ तो किस प्रकार									
			हाँ	नहीं	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सवाईमाधोपुर	59	54	5	20	2	16	1	1	9	4	–	–	6
2.	करौली	17	10	7	3	–	2	–	–	–	2	–	3	–
3.	दौसा	56	38	18	45	–	3	3	–	–	1	1	–	–
4.	जयपुर	50	46	4	37	–	2	–	–	–	2	–	1	4
	योग :	**182**	**148**	**34**	**105**	**2**	**23**	**4**	**1**	**9**	**9**	**1**	**4**	**10**
	प्रतिशत :		**81.32**	**18.68**	**70.94**	**1.35**	**15.54**	**2.70**	**0.67**	**6.08**	**6.08**	**0.67**	**2.70**	**6.76**

नोट : एक से अधिक उत्तर होने के कारण प्रतिशत अधिक है।

कोड नम्बर :

1. प्रशिक्षण से रोजगार मिला।
2. स्थाई रोजगार मिलने में।
3. कम्प्यूटर में प्रशिक्षण उपरान्त प्रमाण पत्र।
4. पी.जी.डी.सी.ए में डिग्री मिली।
5. अस्थायी रोजगार मिला।
6. सूचना तकनीक में दक्षता मिली।
7. कम्प्यूटर क्षेत्र में रोजगार की योग्यता मिली।
8. प्रशिक्षण निःशुल्क मिल।
9. अग्रिम अध्ययनों में सहायक हुआ।
10. आधुनिक युग के संदर्भ में सक्षम

3.29.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में से 148(81.32 प्रतिशत) का मत था कि प्रशिक्षण उपयोगी रहा एवं 34(18.68 प्रतिशत) का मत था कि अनुपयोगी रहा।

3.29.3 प्रशिक्षण उपयोगी बताने वाले उत्तरदाताओं में से 105(70.94प्रतिशत) ने प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार मिला व्यक्त किया। 23(15.54 प्रतिशत) को कम्प्यूटर में प्रशिक्षण उपरान्त प्रमाण–पत्र मिला।

3.30 अवलोकन टिप्पणी का विवरण :

3.30.1 अन्वेषको द्वारा चयनित 20 केन्द्रों के किये गये अवलोकन की वस्तुस्थिति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित केन्द्र संख्या	प्रशिक्षण केन्द्र की वस्तुस्थिति का विवरण (कोड)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सवाईमाधोपुर	4	3	1	–	2	–	–	–	–	–
2.	करौली	5	2	–	–	2	–	–	–	–	1
3.	दौसा	6	2	1	2	4	2	1	1	–	–
4.	जयपुर	5	1	–	5	–	–	–	–	5	–
	योग :	**20**	**8**	**2**	**7**	**8**	**2**	**1**	**1**	**5**	**1**
	प्रतिशत :		**40.00**	**10.00**	**35.00**	**40.00**	**10.00**	**5.00**	**5.00**	**25.00**	**5.00**

नोट : एक से अधिक उत्तर होने के कारण प्रतिशत अधिक है।

कोड–

1. केन्द्र पूर्णतया आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित है।
2. केन्द्र पर प्रशिक्षण देने हेतु आवश्यक सामान पर्याप्त है।
3. वर्तमान में केन्द्र चालू है।
4. सर्वेक्षण तिथि को केन्द्र बन्द मिला।
5. केन्द्र का सामान व फर्नीचर संचालक के घर पर पाया गया।
6. केन्द्र का सामान कम्प्यूटर फर्नीचर आदि अन्य कमरे में पड़ा खराब हो रहा है।
7. बेसिक कम्प्यूटर आदि सामान अन्य केन्द्र पर कार्य में लिया जा रहा है।
8. एस.सी./एस.टी. छात्रवृत्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम 2006–07 से बन्द पड़ा है।
9. प्रशिक्षण केन्द्र शहर से बाहर था।

3.30.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित 20 केन्द्रों के किये गये अवलोकन उपरान्त 8(40.00 प्रतिशत) केन्द्र आधारभूत सुविधा से सुसज्जित थे, 2(10.00 प्रतिशत) केन्द्र में प्रशिक्षण देने हेतु आवश्यक सामान पर्याप्त था, 7(35.00 प्रतिशत) केन्द्र सर्वेक्षण तिथी को बन्द मिले, 2(10.00 प्रतिशत) केन्द्र में सामान व फर्नीचर संचालक के घर पाया गया, प्रत्येक 1(5.00 प्रतिशत) केन्द्र का सामान बन्द कमरे में मिला खराब हो रहा था, कम्प्यूटर आदि सामान अन्य केन्द्र पर कार्य में लिया जा रहा था एवं 5(25.00 प्रतिशत) एस.सी./एस.टी. छात्रवृत्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम 2006–07 से बन्द पड़ा था व 1(5.00 प्रतिशत) प्रशिक्षण केन्द्र शहर से बाहर था ।

3.31 **प्रशिक्षण की वैधानिकता के संबंध में** :

3.31.1 केन्द्र के अवलोकन के दौरान केन्द्र की वैधानिकता के संबंध में पाया गया कि चयनित 20 केन्द्रों में से 13(65.00 प्रतिशत) केन्द्र डीम्ड विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त थे। 5(25.00 प्रतिशत) केन्द्र सरकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत थे, 2(10.00 प्रतिशत) केन्द्र विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त थे।

3.32 **केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षित किये गये बालक/बालिकाओं के संबंध में** :

3.32.1 केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षित किये गये बालक/बालिकाओं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित केन्द्र	पंजिका के अवलोकन का विवरण							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सवाईमाधोपुर	4	1	–	3	–	–	1	–	–
2.	करौली	5	–	–	–	–	–	–	–	4
3.	दौसा	6	3	3	1	2	1	1	–	1
4.	जयपुर	5	–	–	3	–	1	2	2	–
5	**योग :**	**20**	**4**	**3**	**7**	**2**	**2**	**4**	**2**	**5**
	प्रतिशत :		**20.00**	**15.00**	**35.00**	**10.00**	**10.00**	**20.00**	**10.00**	**25.00**

नोट : एक से अधिक उत्तर होने के कारण प्रतिशत अधिक है।

3.32.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित केन्द्रों में से 4(20.00 प्रतिशत) केन्द्र पर उपलब्ध उपस्थिति पंजिका में बालक/बालिकाओं की उपस्थिति दर्ज थी, 3(15.00 प्रतिशत) केन्द्र वर्तमान में बन्द पड़े थे, 7(35.00 प्रतिशत) केन्द्र में उपलब्ध पंजिका में उपस्थिति दर्ज थी, 2(10.00 प्रतिशत) केन्द्र बन्द होने से अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, 1(5.00 प्रतिशत) केन्द्र पर उपस्थिति पंजिका का संधारण ठीक ढंग से नहीं किया गया था, 4(20.00 प्रतिशत) केन्द्रों में समस्त रिकॉर्ड का संधारण सही पाया गया, 2(10.00 प्रतिशत) केन्द्रों में उपस्थिति पंजिका का संधारण नहीं किया गया एवं रिकॉर्ड केन्द्र पर उपलब्ध नहीं था। 5(25.00प्रतिशत)केन्द्रों ने कोई उत्तर नहीं दिया।

3.33 **केन्द्र द्वारा दिये गये प्रशिक्षण की उपयोगिता** :

3.33.1 प्रशिक्षण केन्द्रों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि केन्द्रों द्वारा दिया गया प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त था, केन्द्रों द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण–पत्र दिये गये, प्रशिक्षण छात्राओं को काफी उपयोगी साबित हुआ, प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया।

3.34 **राशि की उपयोगिता के संबंध में** :

3.34.1 सर्वेक्षण में केन्द्रों के रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा केन्द्र को वर्ष 2005–06 में राशि उपलब्ध नहीं कराई गयी, अधूरी छात्रवृत्ति एवं फीस प्राप्त हुई।

3.35 **उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण के संबंध में अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं के विचारों का विवरण निम्न मदों में प्रस्तुत किया जा रहा है :–**

3.35.1 चयनित शत प्रतिशत 23 अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं का मत था कि प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं प्रशिक्षण केन्द्र पूर्णरूपेण साधन सम्पन्न है। सर्वेक्षण में शत प्रतिशत ने व्यक्त किया कि रोजगार प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण पूर्ण उपयुक्त है। चयनित 23 उत्तरदाताओं में से 6(26.09 प्रतिशत) ने बताया कि आज दिनांक तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एवं 17(73.91 प्रतिशत)ने ना में मत व्यक्त किया।

3.35.2 जिन उत्तरदाताओं ने ना में मत व्यक्त किया उनमें से क्रमशः 3(17.65 प्रतिशत) ने राज्य से बन्द कर दिया, 2(11.76 प्रतिशत) ने योजनान्तर्गत राशि विलम्ब से मिलने से बन्द कर दिया, 1(5.88 प्रतिशत) ने बजट प्राप्त नहीं होने से, 6(35.29 प्रतिशत) ने छात्रवृत्ति का भुगतान बन्द/रोक देने से आर्थिक परेशानी से बन्द कर दिया, 3 (17.65 प्रतिशत) वैधानिकता पर रोक लगने के कारण डिग्री देना बन्द कर दिया, 1 (5.89 प्रतिशत) ने एस.सी./एस.टी. के छात्रों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति पर रोक लगाये जाने के कारण सितम्बर 05 के बाद प्रशिक्षण नहीं दिया। शेष 1(5.88 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया।

3.36 **प्रमाण–पत्र के संबंध में** :

3.36.1 चयनित 23 उत्तरदाताओं में से 22(95.65 प्रतिशत) ने बताया कि प्रमाण दिया जाता है। 1(4.35 प्रतिशत) ने ना में मत व्यक्त किया क्योंकि प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा समस्त पेपर पास करने पर दिया जाता है।

3.37 **छात्रवृत्ति के संबंध में** :

3.37.1 चयनित शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मत प्रकट किया कि छात्रवृत्ति की राशि दी गयी। हाँ में मत व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं में से क्रमशः 4(17.39 प्रतिशत) ने सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा, 12(52.17 प्रतिशत) ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चैक द्वारा राशि दी जाती है। 5 (21.74 प्रतिशत) ने विभाग द्वारा केन्द्र को व केन्द्र द्वारा छात्रों को दी जाती है। 1(4.37 प्रतिशत) ने बताया कि वर्ष 2004–05 की राशि विभाग से प्राप्त हुई व 2005–06 की राशि का भुगतान अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी।

3.37.2 क्षेत्रीय कार्य के दौरान शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने छात्रवृत्ति का उपयोग एस.सी./एस.टी. के बालक बालिकाओं में किया गया बताया गया। चयनित अधिकारी/गैर अधिकारी में से 22(95.65 प्रतिशत) ने राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया बताया। 1(4.35 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया।

प्रशिक्षण उपरान्त प्राप्त रोजगार एवं प्रभाव के संबंध में चयनित प्रशिक्षण केन्द्र, प्रशिक्षक, लाभप्राप्तकर्ता, अभिभावक, एवं अवलोकन व अधिकारी/गैर अधिकारी के विचारों का विवरण निम्न मदों में दिया जा रहा है।

3.38 **रोजगार के सम्बन्ध में जानकारी :**

3.38.1 चयनित 20 केन्द्रों में से 16(80 प्रतिशत) केन्द्रों के प्रभारी ने अधिकांश प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार प्राप्त होना/उपलब्ध होना व्यक्त किया जबकि शेष 4(20 प्रतिशत) केन्द्रों अनुसार अधिकांश प्रशिक्षणार्थियों को आसानी से रोजगार उपलब्ध नहीं होना बताया।

3.38.2 चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध करवाये गये रोजगार का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित केन्द्र	रोजगार का विवरण					
			1	2	3	4	5	उत्तर नहीं
1	सवाईमाधोपुर	4	1	2	1	–	–	–
2.	करौली	5	–	–	–	–	–	5
3.	दौसा	6	–	–	1	3	2	–
4.	जयपुर	5	3	–	1	1	–	–
	योग	**20**	**4**	**2**	**3**	**4**	**2**	**5**
	प्रतिशत		**20.00**	**10.00**	**15.00**	**20.00**	**10.00**	**25.00**

नोट– एक से अधिक उत्तर होने के कारण प्रतिशत अधिक है।

कोड– 1. सरकारी स्कूल में टीचर की नियुक्ति करवायी।
2. गंगानगर, हिण्डौन, जयपुर, महावीरजी में रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध हुआ।
3. गैर सरकारी में कम्प्यूटर टीचर की नियुक्ति।
4. राजकीय/निजी क्षेत्र में रोजगार।
5. स्थानीय विद्यालयों, पंचायत समिति में रोजगार।

3.38.3 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित 20 प्रशिक्षण केन्द्रों में से क्रमशः 4(20 प्रतिशत) ने सरकारी स्कूल में टीचर की नियुक्ति, 2(10 प्रतिशत) ने गंगापुर, हिण्डौन, जयपुर, महावीरजी आदि में रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध करवाना, 3(15 प्रतिशत) ने गैर सरकारी संस्थओं में संविदा के आधार पर कम्प्यूटर टीचर, 2(20 प्रतिशत) ने राजकीय निजी क्षेत्र, रेलवे, पुलिस विभाग, विद्यालय, निजी संस्थाओं में रोजगार एवं 2 (10 प्रतिशत) ने स्थानीय विद्यालयों, पंचायत समिति, लालसोट एवं अन्य संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध कराया जाना बताया। शेष 5 (25 प्रतिशत) ने अनभिज्ञता दर्शायी।

3.39 प्रशिक्षण उपरान्त प्राप्त रोजगार के सम्बन्ध में प्रशिक्षकों के विचार :

3.39.1 चयनित जिलों में प्रशिक्षण उपरान्त प्राप्त रोजगार का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता संख्या	वर्ष 2003–04 से 2005–06 प्राप्त स्थायी रोजगार स्वरोजगार		वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक प्राप्त स्थायी वैतनिक रोजगार		योग		
			छात्र	छात्राओं	छात्र	छात्राओं	छात्र	छात्राओं	योग
1.	सवाईमाधोपुर	9	134	4	105	5	239	9	248
2.	करौली	9	3	2	–	–	3	2	5
3.	दौसा	6	137	6	72	13	209	19	228
4.	जयपुर	5	84	5	214	15	298	20	318
	योग	**29**	**358**	**17**	**391**	**33**	**749**	**50**	**799**
							93.74	**6.26**	**100**

3.39.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन हेतु चयनित प्रशिक्षकों द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण प्राप्त कुल 799 स्थायी स्वरोजगार एवं स्थायी वैतनिक रोजगार प्राप्त हुआ जिसमें से 749 (93.74 प्रतिशत) छात्रों को एवं 50 (6.26 प्रतिशत) छात्राओं रोजगार को प्राप्त हुआ। अस्थायी प्राप्त रोजगार का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता संख्या	वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक प्राप्त अस्थायी रोजगार स्वरोजगार		वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक प्राप्त अस्थायी वैतनिक रोजगार		योग		
			छात्र	छात्राओं	छात्र	छात्राओं	छात्र	छात्राओं	योग
1.	सवाईमाधोपुर	9	106	6	147	10	253	16	269
2.	करौली	9	–	–	25	2	25	2	27
3.	दौसा	6	219	9	208	14	427	23	450
4.	जयपुर	5	98	10	297	36	395	46	441
	योग	**29**	**423**	**25**	**677**	**62**	**1100**	**87**	**1187**
	प्रतिशत						**92.67**	**7.33**	**100**

3.39.3 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में 1187 को अस्थायी स्वरोजगार एवं वैतनिक रोजगार प्रशिक्षण उपरान्त प्राप्त हुआ। उक्त रोजगार प्राप्त में से 1100 (92.67 प्रतिशत) छात्रों को एवं 87 (7.33 प्रतिशत) छात्राओं को प्राप्त हुआ।

3.40 लाभ प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त रोजगार का विवरण :

3.40.1 चयनित 188 उत्तरदाताओं में से 97 (51.60 प्रतिशत) का मत था कि उनको रोजगार प्राप्त हुआ। शेष 91 (48.40 प्रतिशत) ने कम्प्यूटर सम्बन्धी रोजगार प्राप्त नहीं होना बताया। हाँ में मत प्रकट करने वाले उत्तरदाताओं में से क्रमशः 30 (30.93 प्रतिशत) ने पूर्ण कालिक, 42(43.30 प्रतिशत) ने अंशकालिक, 25 (25.77 प्रतिशत) को जॉब वर्क प्राप्त होना व्यक्त किया। नहीं में उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं में रेलवे में नौकरी मिलने, आगे अध्ययनरत, अध्यापक के पद पर कार्यरत, वर्तमान में अन्य कोर्स व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, रोजगार तलाश, स्वयं का रोजगार, वर्तमान में राजकीय सेवा में होना इत्यादि कारण व्यक्त किये।

3.41 लाभ प्राप्तकर्ताओं के अभिभावकों की प्रशिक्षण उपरान्त प्राप्त रोजगार के सम्बन्ध में विचार :

3.41.1 अध्ययन हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थियों के अभिभावकों में से 114 (62.64 प्रतिशत) ने रोजगार प्राप्त होना बताया व 68 (37.36 प्रतिशत) ने प्राप्त नहीं होना बताया। जिन उत्तरदाताओं ने हाँ में मत व्यक्त किया उनके द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया गया जिसके अनुसार 87 (76.32 प्रतिशत) को संस्था द्वारा ही ट्रेनर के पद पर रखा, 14(12.28 प्रतिशत) को स्वयं के प्रयास से रोजगार प्राप्त हुआ, शेष 13(11.40 प्रतिशत)ने कोई उत्तर नहीं दिया परन्तु रोजगार प्राप्त हुआ।

3.41.2 रोजगार प्राप्त 114 उत्तरदाताओं में से 46 (40.35 प्रतिशत) को पूर्णकालिक, 45 (39.47 प्रतिशत) को अंशकालिक, 23(20.18 प्रतिशत) को जॉब वर्क का रोजगार प्राप्त हुआ।

3.41.3 नहीं, में मत व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं में से क्रमशः वर्तमान में स्पर्धा की तैयारी करना, स्वयं का छात्रावास व स्कूल चलना, रोजगार अवसरों की कमी, प्रशिक्षण अपूर्ण होने के कारण रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण नहीं था, रोजगार के प्रयास नहीं किये कारण व्यक्त किये गये।

3.42 केन्द्रों के अवलोकन उपरान्त रोजगार के सम्बन्ध में विवरण :

3.42.1 चयनित 20 केन्द्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुल 5181 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण दिये गये प्रशिक्षणार्थियों में से 211(4.07 प्रतिशत) को पूर्ण रोजगार व 414(7.10 प्रतिशत) को आंशिक रोजगार एवं 27(0.52 प्रतिशत) को जॉब वर्क व पूर्ण रोजगार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त 59 (1.14 प्रतिशत) को आंशिक व पार्ट टाईम रोजगार प्राप्त हुआ। अतः कुल 711(13.72 प्रतिशत) को रोजगार प्राप्त हुआ।

3.43 अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं के रोजगार प्राप्ति के सम्बन्ध में विचार :

3.43.1 चयनित 23 उत्तरदाताओं में से 22(95.65 प्रतिशत) ने रोजगार प्राप्त होना एवं 1(4.35 प्रतिशत) ने नहीं प्राप्त होना व्यक्त किया। रोजगार प्राप्त के सम्बन्ध में एक से अधिक उत्तर दिये गये। जिसके अनुसार क्रमशः 10(45.45 प्रतिशत) ने सरकारी नौकरी, 9(40.91 प्रतिशत) ने स्वयं का व्यवसाय, 13(59.09 प्रतिशत) ने प्राईवेट नौकरी एवं 2 (9.09 प्रतिशत) ने पूर्ण व आंशिक रोजगार व स्वयं का रोजगार बताया इसके अतिरिक्त 4(18.18 प्रतिशत) ने निजी/राजकीय विद्यालयों एवं अन्य कार्यालयों में कम्प्यूटर सम्बन्धी रोजगार प्राप्त होना व्यक्त किया। शेष 2 (9.09 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया।

3.44 प्रशिक्षण उपरान्त प्राप्त रोजगार से हो रही आय के संबंध में प्रशिक्षण केन्द्र, प्रशिक्षको एवम् लाभप्राप्तकर्ता, अभिभावक, अवलोकन व अधिकारी/गैर अधिकारियों के विचारों का विवरण निम्न मदों में दिया जा रहा है :

3.44.1 सर्वेक्षण में अवलोकित किये गये 20 केन्द्रों में से 13(65.00प्रतिशत) ने रोजगार से प्राप्त हो रही आय से आर्थिक स्तर में सुधार एवं सामाजिक स्तर पर प्रभाव होना बताया।

3.45 लाभ प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त रोजगार से हो रही वार्षिक आय का विवरण :

3.45.1 रोजगार प्राप्त 97 लाभप्राप्तकर्ताओं में से 91 (93.81 प्रतिशत) प्राप्त रोजगार में संतुष्ट थे। शेष 6 (6.19 प्रतिशत) नहीं थे। जिसके सम्बन्ध में 1(16.67 प्रतिशत) ने स्कूल में संविदा के आधार पर कम वेतन दिया जाना, 3(50.00 प्रतिशत) ने स्थायी रोजगार नहीं मिलना, 2(33.33 प्रतिशत) ने आगे अध्ययनरत होना बताया। रोजगार से संतुष्ट व्यक्त करने वाले 91 उत्तरदाताओं में से 17(18.68 प्रतिशत) कम्प्यूटर ट्रेनर का रोजगार प्राप्त होने, 58 (63.74 प्रतिशत) प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होने एवं प्रत्येक 4(4.40 प्रतिशत) ने फोरेस्ट में नौकरी, रेलवे में नौकरी, अध्यापक के पद पर नौकरी प्राप्त होने से संतुष्ट थे। शेष 1 (1.09 प्रतिशत) ने प्राईमरी स्कूल में, स्वयं का रोजगार, 3 (3.30 प्रतिशत) स्वरोजगार से जीविकोपार्जन का साधन होने से संतुष्ट थे। सर्वेक्षण में जिन लाभप्राप्तकर्ताओं ने रोजगार से संतुष्टि व्यक्त की उनकी आय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	लाभ प्राप्त–कर्ताओं की संख्या	पूर्व की आय							पश्चात् की आय						
			0.15 तक	0.15 से 0.30 तक	0.30 से 0.45 तक	0.45 से 0.60 तक	0.60 से 0.75 तक	0.75 से अधिक	योग	0.15 तक	0.15 से 0.30 तक	0.30 से 0.45 तक	0.45 से 0.60 तक	0.60 से 0.75 तक	0.75 से अधिक	योग
1.	सवाईमाधोपुर	16	–	1	–	–	–	–	1	1	3	–	10	1	1	16
2.	करौली	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
3.	दौसा	31	–	–	–	–	–	–	–	–	24	5	2	–	–	31
4.	जयपुर	43	1	6	2	2	–	–	11	–	10	13	17	2	1	43
	योग	91	1	7	2	2	–	–	12	1	37	19	29	3	2	91
	प्रतिशत								13.19	1.10	40.66	20.88	31.87	3.30	2.19	100

3.45.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित जिलों में 91 लाभप्राप्तकर्ताओं द्वारा ही आय का विवरण दिया गया है जिसके अनुसार 12(13.19 प्रतिशत) द्वारा ही पूर्व की आय दर्शायी गयी। शेष 79(86.81 प्रतिशत) द्वारा नहीं बतायी गयी जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रशिक्षण से पूर्व उन्हें कोई रोजगार प्राप्त नहीं था। जिन 12 लाभप्राप्तकर्ताओं ने पूर्व की आय व्यक्त की उनमें से 1(8.33 प्रतिशत) ने 15000 तक आय होना, 7(58.33 प्रतिशत) को 15000 से 30000 तक आय होना, 2(16. 67 प्रतिशत) को 30,000 से 45,000 तक आय होना एवं 2(16.67 प्रतिशत) को 45,000 से 60,000 तक वार्षिक आय होना व्यक्त किया।

3.45.3 रोजगार उपरान्त प्राप्त आय व्यक्त करने वाले 91 लाभप्राप्तकर्ताओं में से 37 (40.66 प्रतिशत) को 0.15 से 0.30 लाख तक वार्षिक आय होना, 19(20.88 प्रतिशत) को 0.30 से 0.45 लाख तक आय होना, 29(31.87 प्रतिशत) को 0.45 से 0.60 लाख तक आय होना बताया गया। इसके अतिरिक्त 1(1.10 प्रतिशत) को 0.15 लाख तक, 3(3.30 प्रतिशत) को 0.60 से 0.75 लाख तक आय होना एवं 2(2.19 प्रतिशत) को 0.75 लाख तक की आय हो रही थी। अतः स्पष्ट है कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार में वृद्धि हुई एवं आय में वृद्धि हुई।

3.46 सर्वेक्षण में चयनित अभिभावकों से रोजगार से आय में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में विचार प्राप्त किये गये जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता संख्या	आय में वृद्धि		हाँ, तो राशि का विवरण						
			हाँ	नहीं	0.15	0.15–0.30	0.30–0.45	0.45–0.60	0.60–0.75	0.75 अधिक	उत्तर नहीं
1.	सवाईमाधोपुर	31	31	–	3	9	–	12	5	2	–
2.	करौली	5	5	–	1	4	–	–	–	–	–
3.	दौसा	34	34	–	–	25	6	3	–	–	–
4.	जयपुर	44	44	–	–	11	13	16	2	1	1
	योग	114	114	–	4	49	19	31	7	3	1
	प्रतिशत		100		3.51	42.98	16.67	27.19	6.14	2.63	0.88

3.46.1 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित 114 उत्तरदाताओं में से शत–प्रतिशत का मत था कि आय में वृद्धि हुई।

3.46.2 आय में वृद्धि के सम्बन्ध में 4(3.51 प्रतिशत) ने बताया कि 0.15 लाख तक आय में वृद्धि, 49(42.98 प्रतिशत) ने 0.15 से 0.30 लाख तक वृद्धि, 19(16.67 प्रतिशत) ने 0. 30 से 0.45 लाख तक वृद्धि, इसके अतिरिक्त 31(27.19 प्रतिशत) ने 0.45 से 0.60 लाख वृद्धि, 7(6.14 प्रतिशत) ने 0.60 से 0.75 लाख तक वृद्धि, 3(2.63 प्रतिशत) ने 0.75 लाख से अधिक वृद्धि होना स्वीकारा एवं 1(0.88 प्रतिशत) से कोई उत्तर नहीं दिया।

3.47 जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव का विवरण :

3.47.1 कम्प्यूटर प्रशिक्षण उपरान्त प्राप्त रोजगार से हो रही आय से जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव के संबंध में 91 लाभप्राप्तकर्ता उत्तरदाताओं में से 90 (98.90 प्रतिशत) ने जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, स्वीकारा। शेष 1(1.10 प्रतिशत) के अनुसार जीवन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

3.47.2 हाँ, में मत प्रकट करने वाले लाभप्राप्तकर्ता उत्तरदाताओं में से 85(94.44 प्रतिशत) ने सामाजिक क्षेत्र में 88 (97.78 प्रतिशत) ने आर्थिक क्षेत्र में एवं शत–प्रतिशत ने रहन सहन में परिवर्तन स्वीकारा।

3.47.3 रोजगार प्राप्ति से हो रही आय से जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव के सम्बन्ध में चयनित 114 अभिभावक उत्तरदाताओं में से 113(99.12 प्रतिशत) ने जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ना स्वीकारा, शेष 1(0.88 प्रतिशत) ने नहीं स्वीकारा। हाँ, में मत प्रकट करने वाले उत्तरदाताओं में से 89(78.76 प्रतिशत) ने सामाजिक स्तर में, 107 (94.69 प्रतिशत) ने आर्थिक स्तर में एवं 108(95.57 प्रतिशत) ने आर्थिक स्तर में एवं 108(95.57 प्रतिशत) रहन सहन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वीकारा।

3.48 रोजगार से संतुष्टि :

3.48.1 रोजगार प्राप्त 97 लाभप्राप्तकर्ता उत्तरदाताओं में से 91 (93.81 प्रतिशत) रोजगार से संतुष्ट थे, 6(6.19 प्रतिशत) नहीं थे। जिसके सम्बन्ध में 1(16.67 प्रतिशत) ने स्कूल में संविदा के आधार पर कम वेतन दिया जाना, 3(50.00 प्रतिशत) ने स्थायी रोजगार नहीं मिलना, 2(33.33 प्रतिशत) ने आगे अध्ययनरत होना बताया।

3.48.2 प्राप्त रोजगार से संतुष्टि व्यक्त करने वाले 91 उत्तरदाताओं में से 17 (18.68 प्रतिशत) ने कम्प्यूटर ट्रेनर का रोजगार मिलने में सहायक होना, 58(63.74 प्रतिशत) ने प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार, प्रत्येक 4(4.40 प्रतिशत) ने फोरेस्ट विभाग में, रेलवे में नौकरी, अध्यापक के पद पर नौकरी मिलने से संतुष्ट थे। शेष 1(1.09 प्रतिशत) ने प्राईमरी स्कूल में, स्वयं का रोजगार, 3(3.30 प्रतिशत) ने स्वरोजगार से जीविकोपार्जन का साधन होना व्यक्त किया।

3.49 आय पर प्रभाव :

3.49.1 सर्वेक्षण में चयनित अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं ने रोजगार उपरान्त हो रही आय से पड़े प्रभाव के सम्बन्ध में 22(95.65 प्रतिशत) ने हाँ में मत प्रकट किया व 1(4.35 प्रतिशत) ने ना में मत प्रकट किया। हाँ में मत प्रकट करने वालों ने एक से अधिक उत्तर दिये, जिसके अनुसार 9(40.91 प्रतिशत) ने आय में वृद्धि, रहन सहन, सामाजिक स्तर एंव आत्म विश्वास में सुधार होना व्यक्त किया, 7(31.82 प्रतिशत) ने रोजगार प्राप्त होने से आय में वृद्धि, 6(27.27 प्रतिशत) ने सकारात्मक प्रभाव होना दर्शाया।

3.50 रोजगार से संतुष्टि के सम्बन्ध में अधिकारी/गैर अधिकारियों के विचार :

3.50.1 प्रशिक्षण उपरान्त चयनित 23 अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं में से 16 (72.73 प्रतिशत) संतुष्ट थे व 4(18.18 प्रतिशत) नहीं थे, शेष 2(9.09 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, में मत प्रकट करने वाले अधिकारी/गैर अधिकारियों ने एक से अधिक संतुष्टि के कारण व्यक्त किये। जिसके अनुसार क्रमशः 5(31.25 प्रतिशत) ने जीवनयापन का साधन मिला, 5(31.25 प्रतिशत) ने आय से रहन सहन तथा सामाजिक स्तर में वृद्धि हुई, 5(31.25 प्रतिशत) ने नियुक्ति मिलने से संतुष्टि व 1(6.25 प्रतिशत) ने आर्थिक सामाजिक स्तर पर कुछ हद तक सकारात्मक प्रभाव पड़ा बताया।

3.50.2 सर्वेक्षण में संतुष्टि नहीं व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं ने स्थायी रोजगार नहीं मिलना, प्रशिक्षण सम्बन्धी रोजगार नहीं मिलना व्यक्त किया।

3.51 रहन सहन पर प्रभाव :

3.51.1 अवलोकित किये केन्द्रों एवं चयनित अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं ने मत प्रकट किया कि रहन सहन पर प्रभाव पड़ा। अवलोकित 13(65.00 प्रतिशत) ने रहन सहन में प्रभाव पड़ना स्वीकारा व 7(35.00 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया। अधिकारी/गैर अधिकारियों में से 21(91.30 प्रतिशत) ने स्वीकारा कि रहन सहन में प्रभाव पड़ा है, 2(8.70 प्रतिशत) ने नहीं में उत्तर दिया।

3.52 उपलब्ध रोजगार से प्राप्त आय का विवरण :

3.52.1 चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रभारियों से प्रशिक्षणार्थियों को प्राप्त रोजगार से हो रही औसत आय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र.सं.	चयनित जिला	केन्द्रों की संख्या	मासिक आय का विवरण					
			0.02	0.02–0.03	0.03–0.04	0.04–0.05	0.05 से अधिक	उत्तर नहीं
1.	सवाईमाधोपुर	4	1	1	–	2	–	–
2.	करौली	5	–	–	–	–	–	5
3.	दौसा	6	–	1	–	–	5	–
4.	जयपुर	5	–	–	1	–	4	–
	योग	**20**	**1**	**2**	**1**	**2**	**9**	**5**
	प्रतिशत		**5.00**	**10.00**	**5.00**	**10.00**	**45.00**	**25.00**

3.52.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित केन्द्रों में से 1(5.00 प्रतिशत) ने बताया कि 0.02 लाख की आय प्राप्त हो रही है, 2(10.00 प्रतिशत) को 0.02 से 0.03 लाख व 1(5.00 प्रतिशत) को 0.04 से 0.05 लाख की आय प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त 2(10.00 प्रतिशत) को 0.04 से 0.05 तक, 9(45.00 प्रतिशत) को 0.05 लाख से अधिक की आय प्राप्त हो रही है। अतः स्पष्ट है कि सबसे अधिक 0.05 लाख की मासिक आय प्राप्त हो रही है।

3.53 आय के सम्बन्ध में चयनित प्रशिक्षकों के विचार :

3.53.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये 29 प्रशिक्षकों द्वारा आय के संबंध में दी गयी जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र.सं.	चयतिन जिला	उत्तरदाता की संख्या	आय के संबंध में			हाँ तो किस प्रकार				
			हाँ	नहीं	उत्तर नहीं	1	2	3	4	5
1.	सवाईमाधोपुर	9	9	–	–	5	2	1	1	–
2.	करौली	9	5	–	4	–	–	–	–	4
3.	दौसा	6	6	–	–	–	4	4	1	–
4.	जयपुर	5	5	–	–	1	5	2	–	–
	योग प्रतिशत	**29**	**25 86.21**	**–**	**4 13.79**	**6 24.00**	**11 44.00**	**7 28.00**	**2 8.00**	**4 16.00**

कोड–

1. वेतन आधारित।
2. परिवार की आय बढ़ी।
3. जीविकापार्जन के साधन सृजित हुऐ।
4. पूर्ण व अंशकालीन रोजगार मिलना।
5. कम्प्यूटर रोजगार में सहायक।

3.53.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित 29 उत्तरदाताओं में से 25 (86.21प्रतिशत)ने हाँ में मत प्रकट किया व 4(13.79प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया । हाँ में मत प्रकट करने वालों में से क्रमशः 6(24.00प्रतिशत) ने वेतन आधारित आय होना, 11 (44.00प्रतिशत) ने परिवार की आय बढ़ना, 7(28.00प्रतिशत) ने जीविकापार्जन के साधन सृजित होना, 2(8.00प्रतिशत) ने पूर्ण व अंशकालीन रोजगार, 4(16.00प्रतिशत) ने कम्प्यूटर रोजगार सहायक होना व्यक्त किया।

3.54 कठिनाईयाँ एवं सुझाव :

3.54.1 सर्वेक्षण में चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रशिक्षण देने में आयी कठिनाईयों की जानकारी प्राप्त की गयी। जानकारी में 15(75.00 प्रतिशत) ने हाँ में मत व्यक्त किया। शेष 5 (25.00 प्रतिशत) ने ना में मत व्यक्त किया। जिन उत्तरदाताओं ने हाँ में मत व्यक्त किया। उनके द्वारा निम्न कठिनाइयाँ बताई गयी :–

3.55 **कठिनाईयों का विवरण :**

1. राज्य सरकार के नियम प्रक्रिया आये दिन बदलते रहते है। समय पर भुगतान नहीं मिलने से छात्रों में असंतोष रहता है।
   हैं।
2. कम्प्यूटर फीस की राशि समय पर उपलब्ध नहीं होती है जिससे संबंधित विश्वविद्यालय की फीस व परीक्षा शुल्क स्वयं के पास से भिजवाना पड़ता है।
3. मुख्य कठिनाई यह कि जिन छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सरकार से उनकी फीस आदि का भुगतान नहीं मिलता।
4. बालकों का शैक्षणिक स्तर कमजोर होना तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्स अंग्रेजी में होने के कारण बच्चों के कम समझ में आता है।

3.56 **उपरोक्त दर्शायी गई कठिनाईयों को दूर करने हेतु निम्न सुझाव दिये गये :–**

1. अटका हुआ भुगतान शीघ्र दिलवाया जावे।
2. भुगतान/वित्तीय सहायता समय पर दिलवाने की व्यवस्था की जावे।
3. कर्मचारी/अधिकारियों का व्यवहार ईमानदार एवं सहयोगी होना चाहिए।
4. प्रशिक्षण के दौरान ही छात्रवृत्ति उपलब्ध करवायी जानी चाहिए अर्थात छात्रवृत्ति का भुगतान केद्र को करवाया जाना चाहिए।
5. शिक्षा के स्तर में सुधार किया जावे व मेरिट के आधार पर प्रशिक्षण दिया जावे।
6. कम्प्यूटर कोर्स भी हिन्दी में होना चाहिए एवं हिन्दी में कार्य करने हेतु रोजगार दिलवाया जाना चाहिए।

3.57 **प्रशिक्षण प्राप्त करने में आई कठिनाईयों का विवरण** :

3.57.1 सर्वेक्षण में चयनित 188 उत्तरदाताओं से प्रशिक्षण प्राप्त करने में आयी कठिनाईयों की जानकारी प्राप्त की गयी। जानकारी में 35(18.62 प्रतिशत) ने हाँ में मत व्यक्त किया। शेष 153(81.38 प्रतिशत) ने ना में मत व्यक्त किया। हाँ में मत व्यक्त करने वाले 35 उत्तरदाताओं ने क्रमशः छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर नहीं मिलना, छात्रवृत्ति की राशि कम है, प्रशिक्षण उपरान्त स्थाई रोजगार नहीं मिलना, एक ही रिकॉर्ड बार बार मांगा जाता है। सलैबस अंग्रेजी में है। समझने में परेशानी होती है, जॉबवर्क नियमित नहीं मिलना, इन्टरनेट संबंधी कोर्स की सुविधा नहीं, बिजली कटौती के कारण प्रशिक्षण में व्यवधान, साफ्टवेयर व हॉर्डवेयर का कोर्स नहीं इत्यादि कारण बताये गये।

3.57.2 सर्वेक्षण के दौरान चयनित 188 लाभार्थी में से 63(33.51 प्रतिशत) ने व्यक्त किया कि छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने से पढ़ाई में व्यवधान आना बताया शेष 125(66.49 प्रतिशत) ने नहीं में मत व्यक्त किया। हाँ में मत व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं ने एक से अधिक कारण बताये जिसके अनुसार 51(80.95 प्रतिशत) ने अच्छी पुस्तकें नहीं खरीद सका, 45(71.43 प्रतिशत) ने आगामी पढ़ाई जारी नहीं कर सका, 21(33.33 प्रतिशत) ने प्रतियोगिता में नहीं टिक सका, 3(4.76 प्रतिशत) ने अन्य कारण बताये।

3.58 **सर्वेक्षण में उपरोक्त कठिनाईयों को दूर करने हेतु निम्न सुझाव दिये गये :–**

1. छात्रवृत्ति का भुगतान अध्ययन के दौरान किया जावे।
2. राशि बढ़ाई जावे।
3. प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार को प्राथमिकता दी जावे।
4. नियम स्थिर रखे जावें।
5. सलेबस हिन्दी में हो, कोर्स के साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई जावे।
6. किसी संस्था से काम दिलवाया जावे।
7. केन्द्र को शुल्क भुगतान समय पर करना चाहिए।
8. इन्टरनेट सम्बन्धी कोर्स की सुविधा होनी चाहिए।
9. बिजली कटौती में सुधार किया जावे।
10. सॉफ्टवेयर व हॉर्डवेयर का कोर्स भी करवाया जावे।

3.59 **प्रशिक्षकों द्वारा दर्शायी गयी कठिनाईयाँ एवं सुझाव** :

3.59.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण देने में आ रही कठिनाईयों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र.सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता संख्या	हाँ	नहीं
1.	सवाईमाधोपुर	9	1	8
2.	करौली	9	4	5
3.	दौसा	6	–	6
4.	जयपुर	5	1	4
	योग :	**29**	**6**	**23**
	प्रतिशत :		**20.69**	**79.31**

3.59.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित प्रशिक्षकों में से 6(20.69 प्रतिशत) ने कठिनाई व्यक्त की व शेष 23(79.31 प्रतिशत) ने कोई कठिनाईयाँ व्यक्त नहीं की। जिन उत्तरदाताओं ने कठिनाईयाँ व्यक्त की उनमें से 1(16.67 प्रतिशत) ने विभाग द्वारा छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं देने के कारण आक्रोश का सामना करना पड़ता है। 4(66.67 प्रतिशत) ने शिक्षा का स्तर एवं अंग्रेजी कमजोर होने से प्रशिक्षण देने में कठिनाई, 1(16.66 प्रतिशत) ने प्रशिक्षण में रूचि का अभाव होना व्यक्त किया।

3.60 **सर्वेक्षण में व्यक्त की गई कठिनाईयों को दूर करने हेतु सुझाव प्राप्त किये गये, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–**

1. विभागीय नियम स्थिर बनाये जावे, कार्य प्रणाली में सुधार किया जावे।
2. विभागीय कर्मचारी ईमानदारी से समय पर छात्रवृत्ति स्वीकृत करें /समय पर भुगतान करें।

3. कार्यक्रम निरूत्तर रखा जावे इससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को लाभ है।
4. शिक्षा स्तर व अंग्रेजी का स्तर सुधारने हेतु अतिरिक्त प्रावधान योजनान्तर्गत किया जावे।
5. कम्प्यूटर कोर्स व अंग्रेजी के बजाय हिन्दी में होने पर आसानी रहेगी।

3.61 **सर्वेक्षण में केन्द्रों के अवलोकन उपरान्त निम्न कठिनाईयाँ पाई गई :–**

1. विभाग द्वारा समय पर केन्द्र का निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग का अभाव।
2. प्रशिक्षणार्थियों को समय पर फीस व छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होता।
3. विभाग स्तर पर छात्रवृत्ति लम्बित रहती है।
4. स्थानीय रूप से निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते।
5. असमय दिशा निर्देश में बदलाव से समस्या होती है।
6. प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं।
7. अंग्रेजी का ज्ञान कम होने से प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार में कठिनाई आती है।

3.62 **अधिकारियों/गैर अधिकारियों द्वारा कठिनाईयाँ एवं सुझाव** :

3.62.1 चयनित अधिकारी/गैर अधिकारी उत्तरदाताओं से प्रशिक्षण में आयी कठिनाईयों की जानकारी प्राप्त की गई। जानकारी में 11(47.83 प्रतिशत) ने हाँ में मत व्यक्त किया व 12(52.17 प्रतिशत) ने ना में मत व्यक्त किया।

3.62.2 **हाँ में मत व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं ने निम्न कठिनाईयाँ बतायी :–**

i प्रशिक्षणार्थियों का शैक्षणिक स्तर का कमजोर होना।
ii अंग्रेजी में कमजोर होना।
iii आर्थिक स्थिति भी कमजोर है।
iv सलेबस देरी से प्राप्त होता है, कोर्स पूरा करने में समस्या आती है।
v सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग छात्रवृत्ति देरी से उपलब्ध करता है।

3.63 **सुझाव** :

i अंग्रेजी का प्रशिक्षण के साथ अतिरिक्त ज्ञान करवाया जाना चाहिए।
ii संबंध संस्था द्वारा हिन्दी में प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जावे।
iii समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध करवायी जावे।

————

अध्याय चतुर्थ

निष्कर्ष एवं सुझाव

4.1 **निष्कर्ष :**

1. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत संचालित निजी कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं को ही प्रशिक्षण दिया गया /दिया जाता है।
2. जिलों एवं केन्द्रों द्वारा आवंटित राशि का 80.68 प्रतिशत उपयोग किया गया।
3. राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि के उपयोग के एक से दो माह के मध्य विभाग को प्राप्त हो जाता है।
4. निजी प्रशिक्षण केन्द्रों को राशि का आवंटन केन्द्रों के पंजियन की जाँच एवं निरीक्षण उपरान्त किया गया/जाता है।
5. निजी केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु आधुनिक तकनीक के कम्प्यूटर उपलब्ध थे।
6. केन्द्रों पर प्रशिक्षण की अवधि 7 से 12 माह एवं 19 माह से 24 माह तक निर्धारित की हुई है। प्रत्येक चयनित केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु 6 प्रशिक्षक नियुक्त थे एवं शत प्रतिशत प्रशिक्षक प्रशिक्षित थे।
7. प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को पी.जी.डी.सी.ए. व अन्य कोर्स की सैद्धान्तिक व्यावहारिक जानकारी, पी सी पैकेज प्रोग्रामिंग,एप्लीकेशन, ओपरेटिंग, कम्यूनिकेशन, हार्डवेयर, साफ्टवेयर इत्यादि की जानकारी दी गयी। चयनित लाभ प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं एम.एस.ऑफिस का एक वर्ष का प्रशिक्षण लिया गया, उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण हेतु कोई शुल्क नहीं लिया गया।
8. केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया/जाता है।
9. केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् प्रमाण पत्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है।
10. प्रशिक्षण का लाभ अधिकत्तर 21 वर्ष से 25 वर्ष एवं 26 से 30 वर्ष तक के छात्र/छात्राओं द्वारा ही प्राप्त किया गया ।
11. प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक, स्नातक,स्नातकोत्तर योग्यता वाले प्रशिक्षणार्थियों द्वारा लिया गया।
12. प्रशिक्षण उपरान्त 30 लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को पूर्ण रोजगार, 42 लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को अंशकालीन व 25 लाभ प्राप्तकत्ताओं को जाबवर्क प्राप्त हुआ।

13. लाभ प्राप्तकत्ताओं को प्रशिक्षण के दौरान 330/– व 140/– रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी गयी व अनुरक्षण भत्ता 2050/– रुपये चैक/नकद के रूप में दिये गये।
14. अध्ययन हेतु चयनित केन्द्रों में से सवाई माधोपुर एवं जयपुर द्वारा आवंटित राशि का शत–प्रतिशत उपयोग एवं दौसा द्वारा 98.89 प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया, लेकिन करौली द्वारा मात्र 13.69 प्रतिशत उपयोग किया गया।
15. केन्द्रों को राशि चैक व ड्राफ्ट के द्वारा प्राप्त होती है।
16. प्रशिक्षण जिले की पंचायत समितियों व जिलों से बाहर व शहर के प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्राप्त किया जा रहा था/रहा है।
17. प्राप्त रोजगार से लाभप्राप्तकर्ता संतुष्ट थे, आय प्राप्त हो रही थी। आय से जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव के अन्तर्गत सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र में व रहन सहन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ।

4.2 कठिनाइयाँ :

1. सर्वे में चयनित अधिकांश प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिकारियों ने मत व्यक्त किया कि अधिकांशतया समय पर बजट उपलब्ध हो जाता है लेकिन कुछ अधिकारियों ने बजट समय पर नहीं मिलना दर्शाया है।
2. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति नियम/प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और समय–समय पर इन नियमों में संशोधन किये जाने पर विभाग द्वारा (राज्य सरकार) भी आवश्यक संशोधन कर योजना क्रियान्वित की जाती है फलतः उस दौरान छात्रवृत्ति के भुगतान में विलम्ब हो जाता है। जिन छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाता और वे आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं उन्हें समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने से अन्य व्यवस्था करनी पड़ती है।
3. कम्प्यूटर फीस राशि समय पर उपलब्ध नहीं होती जिससे संबंधित विश्वविद्यालय की फीस व परीक्षा शुल्क, केन्द्रों के स्वयं के पास से भिजवाना पड़ता है।
4. बालकों का शैक्षणिक स्तर कमजोर होना तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्स अंग्रेजी में होने के कारण कम समझ में आता है।
5. अंग्रेजी का ज्ञान कम होने से प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार में कठिनाई।
6. प्रशिक्षणार्थियों को देय छात्रवृत्ति की राशि कम है।
7. जॉब वर्क नियमित नहीं मिलता। इन्टरनेट, साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर कोर्स की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है।
8. चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिकांश अभ्यर्थियों ने समय पर छात्रवृत्ति स्वीकृत होना स्वीकार किया लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति समय पर स्वीकृत नहीं हुई। अधिकारियों से इस विषय में वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि दस्तावेज पूर्ण न होने के कारण छात्रवृत्ति समय पर स्वीकृत नहीं हो पायी।

9. विभाग द्वारा समय–समय पर केन्द्रों का निरीक्षण एवं मोनेटरिंग का अभाव पाया गया।
10. अधिकांश स्थानों पर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं पाये गये।

4.3 सुझाव :

1. यद्यपि अधिकांश अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रशिक्षण के दौरान ही उपलब्ध हो जाती है लेकिन विभाग द्वारा यह प्रयास किये जाने की सिफारिश की जाती है कि शत–प्रतिशत छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान ही छात्रवृत्ति उपलब्ध करवा दी जावे।
2. शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। मेरिट के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अंग्रेजी का स्तर सुधारा जाना चाहिए।
3. कम्प्यूटर कोर्स को हिन्दी में भी समझाने की व्यवस्था कर दी जावे तो परिणाम अधिक बेहतर रहने की संभावना है।
4. महंगाई को देखते हुए छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।
5. प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार दिलवाये जाने की व्यवस्था से कार्यक्रम अधिक सफल होने की संभावना है।
6. केन्द्रों पर इन्टरनेट एवं हार्डवेयर संबंधी कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए।
7. इस कार्यक्रम को निरन्तर रखा जाना चाहिए जिससे एस.सी./एस.टी. के छात्र/छात्राओं को लाभ प्राप्त हो सके।
8. छात्रवृत्ति का भुगतान वर्ष के आरम्भ या मासिक किश्तों में किया जाना चाहिए जिससे छात्रों द्वारा अध्ययन सामग्री क्रय की जा सके।

———————

परिशिष्ट–1

उत्तर मैटिक छात्रवृति योजनान्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	केन्द्रों की संख्या
1.	जयपुर	37
2.	दौसा	12
3.	सवाईमाधोपुर	10
4.	करोली	5
5.	सीकर	5
6.	कोटा	4
7.	डूगरपुर	3
8.	नागौर	1
9.	अलवर	7
10.	भीलवाडा	1
11.	टोंक	1
12.	बांसवाडा	1
13.	झुन्झुनु	1
14.	नागौर	1
15.	बारॉ	1
16.	झालावाड	1
17.	पाली	1
	योग	92